भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-218

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

अत्याधुनिक विशाल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

***218. श्री किरनमय नन्दाः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में अत्याधुनिक विशाल विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की स्थिति क्या है;

(ख) विलम्ब से चल रही परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए जाने का विचार है;

(ग) हरियाणा समेत देश में कितनी विद्युत परियोजनाएं लम्बित/अधूरी हैं; और

(घ) लम्बित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा, राज्य-वार/क्षेत्र-वार और संयंत्र-वार, उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"अत्याधुनिक विशाल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 218 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : अब तक चार यूएमपीपी अर्थात मध्यप्रदेश में सासन, गुजरात में मुंदरा, आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम तथा झारखंड में तिलैया, सफल बोलीदाता को अवार्ड किए जा चुके हैं। मुंदरा तथा सासन यूएमपीपी पूरी तरह से चालू किए जा चुके हैं। अवार्ड किए गए यूएमपीपी की स्थिति **अनुबंध-I** में है। अन्य अभिज्ञात यूएमपीपी की स्थिति **अनुबंध-II** में है।

(ख) : I. यूएमपीपी के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने के लिए सदस्य (थर्मल), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) की अध्यक्षता तथा मेजबान राज्य के प्रमुख सचिव(ऊर्जा) की सह-अध्यक्षता में एक संयुक्त मानीटरिंग समिति (जेएमसी) का गठन किया गया है।

II. कोई भी मंत्रालय/विभाग अथवा कोई भी निजी उद्यमी 1000 करोड़ रूपए या इससे अधिक के निवेश वाली अपनी रूकी हुई निवेश परियोजनाएं अथवा क्रिटिकल समझी जाने वाली परियोजना मंत्रिमंडल सचिवालय के परियोजना मानीटरिंग समूह (पीएमजी) पोर्टल पर प्रस्तुत/अपलोड कर सकता है। विद्युत मंत्रालय मंत्रिमंडल सचिवालय में पीएमजी द्वारा आगे की मानीटरिंग के लिए ऐसी रूकी हुई परियोजनाओं का मामला उठा रहा है।

(ग) : इस समय, देश में कुल 83621.1 मेगावाट की 82 ताप विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन/अधूरी हैं। इनके ब्यौरे **अनुबंध-III** में हैं।

देश में कुल 13328 मेगावाट की 48 जल विद्युत परियोजनाएं (25 मेगावाट से अधिक) भी निर्माणाधीन हैं। इनके ब्यौरे **अनुबंध-IV** में हैं। इनके अतिरिक्त, इस समय कुल 26638 मेगावाट की 42 जल विद्युत परियोजनाओं पर सीईए में सहमति दे दी है तथा इनका निर्माण अभी शुरू किया जाना है। इनके ब्यौरे **अनुबंध-V** में हैं। हरियाणा में कोई भी ताप-विद्युत परियोजना/जल विद्युत परियोजना निर्माणाधीन नहीं है/ अधूरी नहीं पड़ी हुई है।

(घ) : सरकार ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैः-

I. केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए), विद्युत अधिनियम,2003 के 73 (च) के अनुसरण में विद्युत परियोजनाओं के निर्माण की प्रगति की मानीटरिंग कर रहा है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण बार-बार स्थल के दौरे करके तथा विकासकर्ताओं और उपस्कर-आपूर्तिकर्ताओं के साथ बातचीत करके प्रगति की निरंतर मानीटरिंग करता है। सीईए समय-समय पर विकासकर्ताओं तथा अन्य पणधारियों के साथ समीक्षा बैठकें आयोजित करता है एवं विद्युत परियोजनाओं को चालू किए जाने से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को अभिज्ञान करता है तथा उनको समाधान में सहायता करता है।

II. विद्युत मंत्रालय, भारी उद्योग मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल सचिवालय महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने तथा अंतर-मंत्रालयी एवं अन्य बकाया मुद्दों का शीघ्रता से समाधान किए जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए नियमित रूप से समीक्षाएं करते हैं।

III. विद्युत मंत्रालय उपस्कर निर्माताओं, राज्य यूटिलिटियों/सीपीएसयू/परियोजना विकासकर्ताओं आदि के साथ नियमित रूप से निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी करता है।

****

अनुबंध-I

"अत्याधुनिक विशाल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 218 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

****

अवार्ड की गई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्रम संख्या	यूएमपीपी का नाम	स्थान	स्थिति
1.	सासन यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सासन	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 07.08.2007 को अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
2.	मुंद्रा यूएमपीपी (5x800 मेगावाट)	जिला कच्छ, गुजरात में ग्राम टुंडावंड में मुंद्रा	परियोजना मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 24.04.2007 को अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
3.	कृष्णापटनम यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 29 जनवरी, 2008 को अंतरित की गई। विकासकर्ता ने इंडोनेशिया में कोयला मूल्य निर्धारण के नए विनियम को देखते हुए कार्यस्थल पर काम रोक दिया है। प्रापकों ने समाप्ति नोटिस जारी कर दिया है। मामला न्यायाधीन है।
4.	तिलैया यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला हजारीबाग तथा कोडरमा, झारखण्ड में तिलैया गाँव के निकट	परियोजना अवार्ड की गई और मेसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) को 07 अगस्त, 2009 को अंतरित की गई। विकासकर्ता, झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लि. (जेआईपीएल, आरपीएल की एक सहायक कंपनी) ने, झारखंड सरकार द्वारा विकासकर्ता को भूमि का अंतरण न किए जाने का उल्लेख करते हुए दिनांक 28.04.2015 को विद्युत क्रय करार (पीपीए) की समाप्ति का नोटिस जारी किया है।

****

अनुबंध-II

"अत्याधुनिक विशाल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 218 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (क) में उल्लिखित अनुबंध।

****

अन्य अभिज्ञात यूएमपीपी की स्थिति

क्रम सं.	यूएमपीपी	स्थान	स्थिति
		ओडिशा	
1.	बेडाबहल	सुन्दरगढ़ जिले में बेडाबहल	बोली रद्द कर दी गई है और नई बोली वित्तीय वर्ष 2015-16 में जारी की जाएगी।
2.	ओडिशा में पहला अतिरिक्त यूएमपीपी	समुद्र तटीय स्थान के लिए भद्रक जिले की चांदबली तहसील में बिजोयपाटना।	स्थल अभिज्ञात किया गया है।
3.	ओडिशा में दूसरा अतिरिक्त यूएमपीपी	जमीनी स्थान हेतु कालाहाण्डी जिले का नारला और कसिंगा उप मंडल	स्थल अभिज्ञात किया गया है।
		छत्तीसगढ़	
4.	छत्तीसगढ़	जिला सरगुजा में सलका और खमरिया गांवों के समीप	मार्च, 2010 में आरएफक्यू जारी किया गया और कोयला ब्लॉक अलंघनीय क्षेत्रों में होने के कारण अक्टूबर, 2013 में वापस ले लिया गया। अब, कोयला मंत्रालय ने दिनांक 08.04.2015 के पत्र द्वारा कोयला ब्लॉकों के लिए अनंतिम संस्तुति की है।
		तमिलनाडु	
5.	तमिलनाडु	गांव चेय्यूर, जिला कांचीपुरम	बोली रद्द कर दी गई है और नई बोली वित्तीय वर्ष 2015-16 में जारी की जाएगी।
6	तमिलनाडु का दूसरा यूएमपीपी	स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	--
		झारखण्ड	
7.	झारखंड का दूसरा यूएमपीपी	देवघर जिले में, हुसैनाबाद	कोयला मंत्रालय ने दिनांक 08.04.2015 के पत्र द्वारा कोयला ब्लॉकों के लिए अनंतिम संस्तुति की है।
		गुजरात	
8.	गुजरात का दूसरा यूएमपीपी	--	स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।
		कर्नाटक	
9.	कर्नाटक	राज्य सरकार ने मंगलोर तालुक, दक्षिण कन्नड़ जिले के निदोडी गांव में उपयुक्त स्थल अभिज्ञात किया है।	सीईए द्वारा दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलौर तालुका के निंदौड़ी गाँव के लिए स्थल से संबंधित मामलों का विशेष उल्लेख करते हुए स्थल दौरा रिपोर्ट कर्नाटक सरकार को भेज दी गई और मामलों के शीघ्र समाधान का अनुरोध किया गया।
		महाराष्ट्र	
10.	महाराष्ट्र	--	स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किए जाने के कारण स्थान को अंतिम रूप नहीं दिया गया।
		बिहार	
11.	बिहार	बांका जिले में ककवारा	कोयला मंत्रालय ने दिनांक 08.04.2015 के पत्र द्वारा कोयला ब्लॉकों के लिए अनंतिम संस्तुति की है।
		उत्तर प्रदेश	
12.	उत्तर प्रदेश में यूएमपीपी	स्थल को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।	सीईए तथा पीएफसी के अधिकारियों के एक दल ने स्थलों का दौरा किया। सीईए ने उत्तर प्रदेश सरकार को स्थल रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

****

अनुबंध-III

"अत्याधुनिक विशाल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 218 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

****

देश में निर्माणाधीन ताप विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा

राज्य	परियोजना का नाम	यूनिट सं.	क्षमता (मेगावाट)	चालू करने का अनुमानित समय
केंद्रीय क्षेत्र				
असम	बोंगाईगांव टीपीपी	यू-2	250	अग.-16
		यू-3	250	मार्च-17
बिहार	बाढ़ एसटीपीपी-I	यू-1	660	मार्च-17
		यू-2	660	सितं.-17
		यू-3	660	मार्च-18
बिहार	मुजफ्फरपुर टीपीपी एक्सपैं.	यू-4	195	फर.-16
बिहार	नबीनगर टीपीपी	यू-1	250	मार्च-16
		यू-2	250	जून-16
		यू-3	250	दिसं.-16
		यू-4	250	जून-17
बिहार	न्यू नबीनगर टीपीपी	यू-1	660	जून-17
		यू-2	660	दिसं.-17
		यू-3	660	जून-18
छत्तीसगढ़	लारा टीपीपी	यू-1	800	दिसं.-16
		यू-2	800	जून-17
झारखण्ड	बोकारो टीपीएस "क" एक्सपैं.	यू-1	500	मार्च-16
झारखण्ड	नॉर्थ कर्णपुरा टीपीपी	यू-1	660	फर.-18
		यू-2	660	अग.-18
		यू-3	660	फर.-19
कर्नाटक	कुडगी एसटीपीपी चरण-I	यू-1	800	मार्च-16
		यू-2	800	सितं.-16
		यू-3	800	मार्च-17
महाराष्ट्र	मौदा एसटीपीपी चरण-II	यू-3	660	अग.-16
		यू-4	660	फर.-17
महाराष्ट्र	सोलापुर एसटीपीपी	यू-1	660	फर.-17
		यू-2	660	अग.-17
मध्य प्रदेश	विंध्याचल टीपीपी चरण-V	यू-13	500	अग.-15
मध्य प्रदेश	गदरवारा टीपीपी	यू-1	800	जून-17
		यू-2	800	नवं.-17
मध्य प्रदेश	खारगोन टीपीपी	यू-1	660	मार्च-19
		यू-2	660	सितं.-19
ओडिशा	दार्लीपल्ली एसटीपीपी	यू-1	800	फर.-18
		यू-2	800	जून-18
त्रिपुरा	मोनार्चक सीसीपीपी	एसटी	35.6	सितं.-15
त्रिपुरा	अगरतला जीटीपी	एसटी-1	25.5	अग.-15
उत्तर प्रदेश	उंचाहार स्टे.-IV	यू-6	500	नवं.-17
उत्तर प्रदेश	मेजा एसटीपीपी	यू-1	660	मार्च-17

		यू-2	660	सितं.-17
उत्तर प्रदेश	टांडा टीपीपी	यू-1	660	मई-18
		यू-2	660	नवं.-18
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर-टीपीपी, फेज-I	यू-2	600	दिसं.-15
पश्चिम बंगाल	रघुनाथपुर-टीपीपी, फेज-II	यू-1	660	13वीं योजना
		यू-2	660	13वीं योजना
कुल केंद्रीय क्षेत्र			**24916.1**	
राज्य क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	रायलसीमा टीपीपी स्टे -IV	यू-6	600	दिसं.-16
असम	नामरूप सीसीजीटी	जीटी	70	जून-16
		एसटी	30	सितं.-16
बिहार	बरौनी टीपीएस एस्टें.	यू-1	250	जून-16
		यू-2	250	अग.-16
छत्तीसगढ़	मारवा टीपीपी	यू-2	500	दिसं.-15
गुजरात	सिक्का टीपीपी एक्सटें.	यू-4	250	दिसं.-15
गुजरात	भावनगर सीएफबीसी टीपीपी	यू-1	250	मार्च-16
		यू-2	250	जून-16
गुजरात	वानाकबोरी टीपीएस एक्सटें.	यू-8	800	अक्तू.-18
कर्नाटक	बेल्लारी टीपीएस	यू-3	700	दिसं.-15
कर्नाटक	येरमारस टीपीपी	यू-1	800	दिसं.-15
		यू-2	800	अप्रैल-16
महाराष्ट्र	चंद्रपुर टीपीएस	यू-9	500	जन.-16
महाराष्ट्र	कोराडी टीपीपी एक्सपें.	यू-9	660	सितं.-15
		यू-10	660	मार्च-16
महाराष्ट्र	पार्ली टीपीपी एक्सपें.	यू-8	250	अक्तू.-15
मध्य प्रदेश	श्रीसिंगाजी टीपीपी	यू-3	660	जुला.-18
		यू-4	660	नवं.-18
ओडिशा	आईबी वेल्ली टीपीपी	यू-1	660	अग.-17
		यू-2	660	जन.-18
राजस्थान	छाबड़ा टीपीपी एक्सटें.	यू-5	660	अप्रैल-17
		यू-6	660	जून-18
राजस्थान	सूरतगढ़ टीपीएस	यू-7	660	अप्रैल-17
		यू-8	660	जुला.-17
तेलंगाना	काकतिया टीपीपी एक्सटें.	यू-1	600	दिसं.-15
	सिंगारैनी टीपीपी	यू-1	600	दिसं.-15
		यू-2	600	मार्च-16
	भद्रादरी टीपीपी	यू-1	270	फर.-17
		यू-2	270	अप्रैल-17
		यू-3	270	जून-17
		यू-4	270	अग.-17
	कोथागुडेम टीपीपी	यू-1	800	नवं.-17
तमिलनाडु	एन्नोर एक्सपें. एससीटीपीपी	यू-1	660	जन.-18
तमिलनाडु	एन्नोर एससीटीपीपी	यू-1	660	मार्च-18
		यू-2	660	मई-18
उत्तर प्रदेश	अनपरा-डी टीपीपी	यू-7	500	दिसं.-15
पश्चिम बंगाल	सागरदिघी टीपीपी-II	यू-3	500	नवं.-15
		यू-4	500	मार्च-16
कुल राज्य क्षेत्र			**20060**	
निजी क्षेत्र				
आंध्र प्रदेश	भावनापडु टीपीपी फेज-I	यू-1	660	जुला.-17

		यू-2	660	दिसं.-17
आंध्र प्रदेश	एनसीसी टीपीपी	यू-1	660	अक्तू.-16
		यू-2	660	मार्च-17
आंध्र प्रदेश	पैनमपुरम टीपीपी	यू-2	660	अग.-15
आंध्र प्रदेश	थम्मिनाप-एटनाम टीपीपी स्टेज-II	यू-3	350	अग.-16
		यू-4	350	नवं.-16
आंध्र प्रदेश	विजाग टीपीपी	यू-1	520	सितं.-15
		यू-2	520	दिसं.-15
बिहार	जस इन्फ्रा. टीपीएस	यू-1	660	13वीं योजना*
		यू-2	660	13वीं योजना*
		यू-3	660	13वीं योजना*
		यू-4	660	13वीं योजना*
छत्तीसगढ़	अकालतारा टीपीपी (नैयारा)	यू-3	600	जून-16
		यू-4	600	मार्च-17
		यू-5	600	दिसं.-17@
		यू-6	600	मार्च-18@
छत्तीसगढ़	बाल्को टीपीपी	यू-2	300	नवं.-15
छत्तीसगढ़	बिंजकोट टीपीपी	यू-1	300	दिसं.-15
		यू-2	300	जून-16
		यू-3	300	13वीं योजना#
		यू-4	300	13वीं योजना#
छत्तीसगढ़	लैंको अमरकंटक टीपीपी-II	यू-3	660	13वीं योजना*
		यू-4	660	13वीं योजना*
छत्तीसगढ़	रायखेड़ा टीपीपी	यू-2	685	दिसं.-15
छत्तीसगढ़	सिंग्हीतराई टीपीपी	यू-1	600	मार्च-16
		यू-2	600	अग.-16
छत्तीसगढ़	टीआरएन एनर्जी टीपीपी	यू-1	300	दिसं.-15
		यू-2	300	मार्च-17
छत्तीसगढ़	उंचपिंडा टीपीपी	यू-1	360	सितं.-15
		यू-2	360	दिसं.-15
		यू-3	360	मार्च-16
		यू-4	360	जून-16
छत्तीसगढ़	सलोरा टीपीपी	यू-2	135	दिसं.-15
छत्तीसगढ़	विसा टीपीपी	यू-1	600	17-18*
झारखण्ड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-I	यू-1	270	17-18*
		यू-2	270	17-18*
झारखण्ड	मैत्रीश्री उषा टीपीपी फेज-II	यू-3	270	13वीं योजना*
		यू-4	270	13वीं योजना*
झारखण्ड	तोरी टीपीपी	यू-1	600	17-18 @
		यू-2	600	17-18 @
महाराष्ट्र	अमरावती टीपीपी फेज-II	यू-1	270	13वीं योजना*
		यू-2	270	13वीं योजना*
		यू-3	270	13वीं योजना*
		यू-4	270	13वीं योजना*
		यू-5	270	13वीं योजना*
महाराष्ट्र	लेंको विदर्भा टीपीपी	यू-1	660	13वीं योजना*
		यू-2	660	13वीं योजना*
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-I	यू-2	270	16-17*
		यू-3	270	13वीं योजना*
		यू-4	270	13वीं योजना*

		यू-5	270	13वीं योजना*
महाराष्ट्र	नासिक टीपीपी फेज-II	यू-1	270	13वीं योजना*
		यू-2	270	13वीं योजना*
		यू-3	270	13वीं योजना*
		यू-4	270	13वीं योजना*
		यू-5	270	13वीं योजना*
मध्य प्रदेश	अनूपपुर टीपीपी फेज-I	यू-2	600	फर.-16
मध्य प्रदेश	महान टीपीपी	यू-2	600	17-18@
मध्य प्रदेश	गोरगी टीपीपी	यू-1	660	13वीं योजना#
मध्य प्रदेश	सिओनी टीपीपी फेज-I	यू-1	600	03/16
मध्य प्रदेश	निवारी टीपीपी	यू-2	45	मार्च-16
ओडिशा	इंड भारत टीपीपी (ओडिशा)	यू-1	350	अक्तू.-15
		यू-2	350	फर.-16
ओडिशा	केवीके नीलांचल टीपीपी	यू-1	350	17-18
		यू-2	350	17-18
		यू-3	350	18-19
ओडिशा	लेंको बाबंध टीपीपी	यू-1	660	17-18*
		यू-2	660	17-18*
ओडिशा	मलीब्राह्मणी टीपीपी	यू-1	525	सितं.-16*
		यू-2	525	मार्च-17*
पंजाब	गोइंदवाल साहिब टीपीपी	यू-1	270	15-16*
		यू-2	270	16-17*
पंजाब	तलवंडी साबो टीपीपी	यू-2	660	सितं.-15
		यू-3	660	दिसं.-15
तमिलनाडु	मेलामरूथुर टीपीपी	यू-2	600	दिसं.-15
तमिलनाडु	तूतीकोरिन टीपीपी (इंड बराथ)	यू-1	660	सितं.-17
उत्तर प्रदेश	प्रयागराज (बारा) टीपीपी	यू-1	660	सितं.-15
		यू-2	660	जन.-16
		यू-3	660	मई-16
उत्तर प्रदेश	ललितपुर टीपीपी	यू-1	660	सितं.-15
		यू-2	660	मार्च-16
		यू-3	660	सितं.-16
कुल निजी क्षेत्र			**38645**	
सकल योग			**83621.1**	
* - वर्तमान में स्थल पर कार्य नहीं चल रहा है।				
@ - कार्य प्रगति बहुत धीमे है।				
# - कार्य अभी शुरू होना है।				

****

अनुबंध-IV

"अत्याधुनिक विशाल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 218 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

****

देश में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं (25 मेगावाट से अधिक) का ब्यौरा

क्रम सं.	स्कीम का नाम (निष्पादन एजेंसी)	क्षेत्र	संस्थापित क्षमता (सं. x मेगावाट)	निष्पादनाधीन क्षमता (मेगावाट)	चालू होने का नवीनतम समय
	आंध्र प्रदेश				
1	नागार्जुन सागर टीआर (एपजैंको)	राज्य	2x25	50.00	2015-16
	उप-जोड़: आंध्र प्रदेश			**50.00**	
	अरुणाचल प्रदेश				
2	कामेंग (नीपको)	केंद्रीय	4x150	600.00	2016-17
3	पारे (नीपको)	केंद्रीय	2x55	110.00	2015-16
4	सुबानसिरी लोअर (एनएचपीसी)	केंद्रीय	8x250	2000.00	2018-20
5	गोंगरी (डिरांग एनर्जी)	निजी	2x72	144.00	2017-18
	उप-जोड़: अरुणाचल प्रदेश			**2854.00**	
	हिमाचल प्रदेश				
6	पारबती स्टे. II (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x200	800.00	2018-19
7	उहल-III (बीवीपीसीएल)	राज्य	3x33.33	100.00	2016-17
8	स्वारा कुडडु (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x37	111.00	2017-18
9	सैंज (एचपीपीसीएल)	राज्य	2x50	100.00	2016-17
10	शौंगटोंग करछम (एचपीपीसीएल)	राज्य	3x150	450.00	2018-19
11	कशांग-I (एचपीपीसीएल)	राज्य	1x65	65.00	2015-16
12	कशांग-II व III (एचपीपीसीएल)	राज्य	2x65	130.00	2017-18
13	बजोली होली (जीएमआर)	निजी	3x60	180.00	2017-18
14	सोरांग (एचएसपीसीएल)	निजी	2x50	100.00	2015-16
15	टांगनु रोमई (टीआरपीजी)	निजी	2x22	44.00	2017-18
16	टिडोंग-I (एनएसएल टिडोंग)	निजी	100.00	100.00	2016-17
17	चंजू-I (आईए एनर्जी)	निजी	3x12	36.00	2017-18
	उप-जोड़: हिमाचल प्रदेश			**2216.00**	
	जम्मू व कश्मीर				
18	बगलीहार-II (जेकेपीडीसीएल)	राज्य	3x150	450.00	2015-17
19	किशनगंगा (एनएचपीसी)	केंद्रीय	3x110	330.00	2016-17
20	रत्ले (आरएचईपीपीएल)	निजी	4x205 + 1x30	850.00	2019-20
	उप-जोड़: जम्मू व कश्मीर			**1630.00**	
	केरल				
21	पल्लीवसल (केएसईबी)	राज्य	2x30	60.00	2017-18
22	थोटियार (केएसईबी)	राज्य	1x30+1x10	40.00	2017-18
	उप-जोड़: केरल			**100.00**	
	मध्य प्रदेश				
23	महेश्वर (एसएमएचपीसीएल)	निजी	10x40	400.00	2016-17
	उप-जोड़: मध्य प्रदेश			**400.00**	
	महाराष्ट्र				
24	कोयना लेफ्ट बैंक (डब्ल्यूआरडी, महा.)	राज्य	2x40	80.00	2017-18
	उप-जोड़: महाराष्ट्र			**80.00**	

	मेघालय				
25	न्यू उमतरू (एमईपीजीसीएल)	राज्य	2x20	40.00	2016-17
	उप-जोड़: मेघालय			**40.00**	
	मिजोरम				
26	तुरियल (नीपको)	केंद्रीय	2x30	60.00	2016-17
	उप-जोड़: मिजोरम			**60.00**	
	पंजाब				
27	शाहपुरकंदी (पीएसपीसीएल)	राज्य	3x33+3x33+1x8	206.00	2017-18
	उप-जोड़: पंजाब			**206.00**	
	सिक्किम				
28	भास्मे (गाटी इंफ्रास्ट्रक्चर)	निजी	3x17	51.00	2017-18
29	दिक्चू (स्नेहा काइनेटिक)	निजी	3x32	96.00	2017-18
30	जोरथांग लूप (डैंस एनर्जी)	निजी	2x48	96.00	2015-16
31	रंगित-IV (जल पावर)	निजी	3x40	120.00	2018-19
32	रंगित-II (सिक्किम हाइड्रो)	निजी	2x33	66.00	2017-18
33	रोंगनीचू (मध्य भारत)	निजी	2x48	96.00	2017-18
34	ताशीडिंग (शीगा एनर्जी)	निजी	2x48.5	97.00	2017-18
35	तीस्ता स्टे.-III (तीस्ता ऊर्जा)	निजी	6x200	1200.00	2016-17
36	तीस्ता स्टे.-VI (लैंको)	निजी	4x125	500.00	2018-19
37	पनन (हिमगिरी)	निजी	4x75	300.00	2018-19
	उप-जोड़: सिक्किम			**2622.00**	
	तेलंगाना				
38	लोअर जुराला (टीएसजीईएनसीओ)	राज्य	6x40	240.00	2015-17
39	पुलीचिंताला (टीएसजीईएनसीओ)	राज्य	4x30	120.00	2016-17
	उप-जोड़: तेलंगाना			**360.00**	
	उत्तराखण्ड				
40	लता तपोवन (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x57	171.00	2019-20
41	तपोवन विष्णुगाड (एनटीपीसी)	केंद्रीय	4x130	520.00	2018-19
42	टिहरी पीएसएस (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x250	1000.00	2018-19
43	विष्णुगाड पीपलकोटि (टीएचडीसी)	केंद्रीय	4x111	444.00	2018-19
44	व्यासी (यूजेवीएनएल)	राज्य	2x60	120.00	2018-19
45	फाटा ब्यूंग (लैंको)	निजी	2x38	76.00	2017-18
46	सिंगोली भटवारी (एल एंड टी)	निजी	3x33	99.00	2017-18
	उप-जोड़: उत्तराखण्ड			**2430.00**	
	पश्चिम बंगाल				
47	तीस्ता लो डैम-IV (एनएचपीसी)	केंद्रीय	4x40	160.00	2015-17
48	रम्माम-III (एनटीपीसी)	केंद्रीय	3x40	120.00	2019-20
	उप-जोड़: पश्चिम बंगाल			**280.00**	
	कुल:			**13328.00**	

****

अनुबंध-V

"अत्याधुनिक विशाल विद्युत परियोजनाओं की स्थिति" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 218 के उत्तर में दिए गए विवरण के भाग (ग) में उल्लिखित अनुबंध।

****

सीईए द्वारा सहमति दी गईं और निर्माण के लिए अभी शुरू की जाने वाली जल विद्युत परियोजनाएं

क्रम सं.	स्कीम/क्षेत्र/जिला	एजेंसी	सं. x मेगावाट	संस्थापित क्षमता (मेगावाट)	अनुमानित लागत (रुपए करोड़) पीएल	सीईए सहमति	निर्माण अवधि /शून्य तारीख	टिप्पणियां
	उत्तरी क्षेत्र							
	जम्मू व कश्मीर							
1	पकलदुल केंद्रीय	सीवीपीपी	4x250	1000	5088.88 (07/05)	03.10.06 26.12.14 को वैधता 02.10.15 तक आगे बढ़ाई गई।	सीसीईए स्वीकृति की तिथि से 72 माह	पर्यावरणीय स्वीकृति 29.02.2008 को प्राप्त की गई तथा वन स्वीकृति 16.05.2005 तथा 06.12.2010 को प्राप्त की गई।
2	न्यू गंदरवाल (राज्य)	जेकेएसपीडीसी	3x31	93	965.86 (01/14)	10.6.14	48 माह 7/14	पर्यावरणीय स्वीकृति 27.09.2013 को प्राप्त की गई तथा वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
	हिमाचल प्रदेश							
3	कुटेहर (निजी)	जेएसडब्ल्यूईपीएल	3x80	240	1798.13*	31.8.10	60 माह 10/11	पर्यावरणीय स्वीकृति 05.07.2011 को प्रदान की गई। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 61.4083 हेक्टे. वन भूमि के परिवर्तन हेतु एमओईएफ द्वारा 22.06.2011 के पत्र के तहत वन स्वीकृति स्टेज-I अनुमोदन दिया गया और एमओईएफ के दिनांक 19.02.2013 के पत्र द्वारा स्टेज-II वन स्वीकृति दी गई। चरण-2 की वन स्वीकृति प्राप्त करने तथा निजी भूमि के अधिग्रहण में देरी के कारण पूर्व बोलियों की वैधता समाप्त हो गई है। नई बोलियां आमंत्रित की जा रही हैं। सहमति की वैधता 03.03.2014 तक बढ़ा दी गई है। विकासकर्ता द्वारा निर्माण आरंभ करने की शून्य तिथि को 12 माह के लिए आगे बढ़ाने का अनुरोध किया गया था। अगली टिप्पणियां 04.08.2014 को भेजी गईं। 04.04.2015 के पत्र के तहत विकासकर्ता से उत्तर प्राप्त हो गया। एक और वर्ष के लिए सहमति की वैधता बढ़ाने के लिए एचपीए डिवीजन की सहमति 13.04.2015 को पीएसी को भेजी गई।
4	मियार (निजी)	एमएचपीसीएल	3x40	120	1125.16 (पूर्ण)	07.02.2013	110 माह 05/13	पर्यावरणीय स्वीकृति 30.07.2012 को प्रदान की गई। स्टेज-1 के लिए वन स्वीकृति 27.07.2012 को प्रदान की गई। निधियन प्रक्रियाधीन है। वित्तीय समापन की प्रक्रिया चल रही है। मॉडल अध्ययन में बैराज एक्सेस की शिफ्टिंग का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन

								है। इस संबंध में सीडब्ल्यूसी की टिप्पणियां 27.11.2014 को विकासकर्ता को भेज दी गई। 16.12.2014, 01.05.2015 को उत्तर प्रस्तुत किया गया। सीडब्ल्यूसी से स्वीकृति/आगे टिप्पणियां प्रतीक्षित हैं।
5	चांगो यांगथांग (निजी)	एमपीसीएल	3x60	180	2077.294 (पूर्ण)	31.03.14	58 माह 04/15	पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
6	छतरू निजी	डीएससी	3x42	126	1386.08 (पूर्ण)	15.1.2015	75 माह 06/17	पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
	उत्तराखंड							
7 (**)	कोटलीभेल चरण-I क केंद्रीय	एनएचपीसी	3x65	195	1095.77 (12/05)	03.10.06 27.11.2012 को वैधता 02.10.2014 तक आगे बढ़ाई गई।	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 54 माह	पर्यावरणीय स्वीकृति 09.05.2007 को प्राप्त की गई और चरण-I वन स्वीकृति 13.10.2011 को प्राप्त की गई और चरण-II वन स्वीकृति प्रतीक्षित। (**) सीईए ने पुनर्वैधीकरण करने से इंकार कर दिया और परियोजना विकासकर्ताओं से अद्यतन विशेषताओं तथा संशोधित लागत अनुमान सहित नई डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा।
8 (**)	कोटलीभेल चरण-I ख केंद्रीय	एनएचपीसी	4x80	320	1806.43 (12/05)	31.10.06 23.11.2012 को वैधता 30.10.14 तक आगे बढ़ाई गई।	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 54 माह	**एमओईएफ ने वन स्वीकृति देने से इंकार किया।** **पूर्व में 14.08.2007 को दी गई पर्यावरणीय स्वीकृति 22.11.2010 को वापस ले ली गई।** (**)सीईए ने पुनर्वैधीकरण करने से इंकार कर दिया और परियोजना विकासकर्ताओं से अद्यतन विशेषताओं तथा संशोधित लागत अनुमान सहित नई डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा।
9 (**)	कोटलीभेल चरण-II केंद्रीय	एनएचपीसी	8x66.25	530	2535.86 (03/06)	30.11.06 27.11.2012 को वैधता 29.11.2014 तक आगे बढ़ाई गई।	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 60 माह	**ईसी 23.08.2007 को प्राप्त की गई। वन स्वीकृति देने से इंकार किया।** (**)सीईए ने पुनर्वैधीकरण करने से इंकार कर दिया और परियोजना विकासकर्ताओं से अद्यतन विशेषताओं तथा संशोधित लागत अनुमान सहित नई डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा।
10	पाला मनेरी राज्य	यूजेवीएनएल	4x120	480	1922.8 (12/06)	23.02.07	53 माह 10/07	पर्यावरणीय स्वीकृति 07.12.2005 को प्राप्त की गई तथा वन स्वीकृति 06.06.2006 को प्राप्त की गई। **यह स्वयं स्पष्ट है कि पर्यावरणीय सावधानियों की अतिरिक्त शर्तों के कारण परियोजना उत्तराखंड सरकार द्वारा रोक दी गई है।**
11	अकलनंदा निजी	जीएमआरएल	3x100	300	1415.96*	08.08.08 वैधता 7.8.2015 तक आगे बढ़ाई गई।	69 माह 03/09	पर्यावरणीय स्वीकृति 12.03.2008 को प्राप्त की गई तथा वन स्वीकृति चरण-I 08.11.11 को प्राप्त की गई। चरण-II 09.11.2012 को प्राप्त की गई।
12	रूपसियाबगार खसियाबाड़ा केंद्रीय	एनटीपीसी	3x87	261	1715.15 (05/08)	16.10.08	64 माह 12/09	वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
13	व्यासी/राज्य	यूजेवीएनएल	2x60	120	936.23	25.10.11	36 माह	7.9.2007 को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त

					(02/10)		12/11	और वन स्वीकृति 21.10.1986 को प्राप्त। नई वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
14	देवसारी/केंद्रीय	एसजेवीएनएल	3x84	252	1558.84 (06/10)	07.08.12	60 माह, 01/13 01	27.12.2011 को आयोजित ईएसी बैठक में पर्यावरणीय स्वीकृति के लिए सिफारिश की गई। औपचारिक पत्र वन स्वीकृति के बाद जारी किया जाएगा। वन स्वीकृति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाए गए स्थगन के खारिज होने से संबद्ध कर दी गई।
	उप-जोड़ : एनआर :			**4217**				
	पश्चिमी क्षेत्र							
	छत्तीसगढ़							
15	मतनार राज्य	सीएसपीसीपीएल	3x20	60	313.35 (03/04)	19.08.04		एमओईएफ से स्वीकृति शेष है ।
	उप-जोड़ : डब्ल्यूआर :			**60**				
	पूर्वी क्षेत्र							
	पश्चिम बंगाल							
	ओडिशा							
16	जलापुट डैम टोई निजी	ओपीसीएल	3x6	18	69.68*	31.01.03		पर्यावरणीय एवं वन स्वीकृति लागू नहीं है। ओपीसीएल परियोजना शुरू करने में विफल रहा है। ओएचपीसी और एपजैंको द्वारा संयुक्त रूप से परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आंध्र प्रदेश सरकार और ओडिशा सरकार दोनों की उपस्थिति में 27 एवं 28 मई, 2013 को एपजैंको और ओएचपीसी के अधिकारियों के बीच एक बैठक आयोजित की गई। आंध्र प्रदेश सरकार के दिनांक 03.12.2013 के पत्र द्वारा कार्यवृत्त का ड्राफ्ट (एमओएम) मामले में आवश्यक कार्रवाई हेतु ओडिशा सरकार को भेजा गया। कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर होने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ओपीसीएल पीपीए तथा भूमि पट्टा समझौते को अंतिम रूप देने हेतु आंध्र प्रदेश सरकार और ओडिशा सरकार के साथ प्रयासरत है ताकि परियोजना का निर्माण कार्य शुरू किया जा सके और परियोजना वित्तीय बंदी की तिथि से 24 माह के भीतर पूरी की जा सके।
	सिक्किम							
17	तीस्ता चरण-IV केंद्रीय	एनएचपीसी	4x130	520	3594.74 (07/09)	13.05.10 वैधता 12.05.15 तक आगे बढ़ाई गई।	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 74 माह	पर्यावरणीय स्वीकृति 9.1.2014 को प्राप्त। चरण-I वन स्वीकृति 26.2.2013 को प्राप्त।
	उप-जोड़: ईआर			**538**				
	दक्षिणी क्षेत्र							
	केरल							

18	अथिरापिल्ली राज्य	केएसईबी	2x80+2x1.5	163	385.63 (2004-05)	31.03.05	42 माह 03/05	परियोजना को पारिस्थितिकीय पहलुओं के अध्ययन के लिए फरवरी, 2010 में एमओईएफ द्वारा गठित किए गए वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्पर्ट पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) को एमओईएफ द्वारा संदर्भित किया गया था। डब्ल्यूजीईईपी ने एमईओएफ से सिफारिश की है कि अथिरापिल्ली वाजाचल क्षेत्र को यथास्थिति संरक्षित किया जाना चाहिए और अथिरापिल्ली में प्रस्तावित जल विद्युत परियोजना के लिए अनुमति नहीं दी जाए। केएसईबी ने डब्ल्यूजीईईपी की रिपोर्ट पर अपना दृष्टिकोण दिनांक 25.01.2012 को केरल सरकार को सम्प्रेषित किया। राज्य सरकार ने डब्ल्यूजीईईपी की संस्तुतियों पर अपनी प्रतिक्रिया **डॉ. के. कारथिरंगम**, सदस्य (विज्ञान), योजना आयोग की अध्यक्षता वाले उच्च स्तरीय कार्य समूह को प्रस्तुत किया। कार्य समूह के सदस्य ने 18.01.2013 को स्थल का दौरा किया। इस दौरे का परिणाम प्रतीक्षित है।
	आंध्र प्रदेश							
19	इंदिरा सागर (पोलावरम) राज्य	एपजेंको	12x80	960	3013.68 (2010-11)	21.02.12	76 माह 12/11	पर्यावरणीय स्वीकृति 25.10.2005 को अनुमोदित। एक अपील के विरुद्ध एनईएए ने, 19.12.2007 को स्वीकृति इस आधार पर रद्द कर दी कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में लोक सुनवाई स्वीकार्य नहीं है। आंध्र प्रदेश सरकार की अपील के विरुद्ध आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने 31.12.2007 को एनईएए के आदेश को अगले आदेशों तक निलंबित कर दिया।
	कर्नाटक							
20	गुंदिया राज्य	केपीसीएल	1x200	200	1119.56 (11/07)	25.04.08	52 माह 09/08	परियोजना को पारिस्थितिकीय पहलुओं के अध्ययन के लिए फरवरी, 2010 में एमओईएफ द्वारा गठित किए गए वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजी एक्पर्ट पैनल (डब्ल्यूजीईईपी) को एमओईएफ द्वारा संदर्भित किया गया था। डब्ल्यूजीईईपी ने एमओईएफ को अपनी रिपोर्ट यह इंगित करते हुए प्रस्तुत की है कि एमओईएफ को गुंदिया एचईपी के निर्माण की अनुमति देने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि विविधता की हानि और पर्यावरणीय प्रभाव महत्वपूर्ण होंगे। एमओईएफ ने इस रिपोर्ट पर कर्नाटक सरकार की राय मांगी थी और इसे एमओईएफ को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है। केंद्र ने डॉ. कस्तूरी रंगन, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन ऐसी अवसंरचना परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु रोड मैप तैयार करने हेतु किया है जो पर्यावरण को प्रभावित न करे। समिति ने 21.08.2012 को नई दिल्ली में बैठक आयोजित की और मांगे

								गए ब्यौरे प्रस्तुत किए गए हैं। दिनांक 13.01.2013 को डॉ. कस्तूरी रंगन ने उच्च स्तरीय कार्य समूह के साथ परियोजना का दौरा किया। निदेशक, एमओईएफ ने 31.01.2013 को कुछ और ब्यौरे मांगे हैं। एचएलडब्ल्यूजी ने एमओईएफ को 15.04.2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत की है और मंत्रालय ने एचएलडब्ल्यूजी की रिपोर्ट 19.10.2013 को स्वीकार की है। एमओईएफ ने 12.12.2013 को विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। केपीसीएल ने एचएलडब्ल्यूजी द्वारा उठाए गए मुद्दे पर प्रतिष्ठित संस्थाओं से संपर्क करते हुए अध्ययन रिपोर्ट के लिए कार्रवाई शुरू की है। एमओईएफ को तदनुसार 04.1.2014 को सूचित किया गया। एमओईएफ से पर्यावरणीय स्वीकृति प्रतीक्षित है।
	उप-जोड़: एसआर			**1323**				
	पूर्वोत्तर क्षेत्र							
	मणिपुर							
21	तिपाईमुख केंद्रीय	एनएचपीसी	6x250	1500	5163.86 (12/02)	02.07.03	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 87 माह	पर्यावरणीय स्वीकृति का 24.10.2008 को अनुमोदन किया गया। एमओईएफ ने अपने 29.08.2013 के पत्र द्वारा मणिपुर में पड़ने वाली 22777.50 हैक्टेअर वन भूमि के डाइवर्जन की घोषणा की और दिनांक 26.09.2013 के पत्र द्वारा परियोजना के लिए मिजोरम में पड़ने वाली 1551.30 हैक्टेअर भूमि का डाइवर्जन निरस्त कर दिया है। परियोजना जेवीसी (एनएचपीसी 69%, एसजेवीएनएल-26%, मणिपुर सरकार-5%) के माध्यम से कार्यान्वित किए जाने का प्रस्ताव है।
22 (**)	लोकटक डी/एस केन्द्रीय	एलडीएचसीएल	2x33	66	867.67 (10/06)	15.11.06 सहमति 6.8.2012 को एनएचपीसी से एलएचडीसी को अंतरित की गई। सहमति की वैधता 24.1.13 को 14.11.14 तक आगे बढ़ाई गई।	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 78 माह	पर्यावरणीय स्वीकृति 16.1.2013 को अनुमोदित। चरण-। वन स्वीकृति 3.3.11 को प्रदान की गई। चरण-॥ वन स्वीकृति प्रतीक्षित। (**) सीईए ने पुनर्वेधीकरण करने से इंकार कर दिया और परियोजना विकासकर्ताओं से अद्यतन विशेषताओं तथा लागत अनुमान सहित नई डीपीआर प्रस्तुत करने को कहा। विकासकर्ता ने 25.03.2015 को नई डीपीआर प्रस्तुत कर दी है।
	अरुणाचल प्रदेश							
23	दिबांग केन्द्रीय	एनएचपीसी	12x250	3000	15886.39 (11/07)	23.1.08 सहमति की वैधता तीन	सीसीईए स्वीकृति से 96 माह	एफएसी ने अपनी दिनांक 23.09.2014 को आयोजित बैठक में बांध की ऊंचाई 10 मीटर कम करने सहित परियोजना के लिए एफसी (एसएंडआई) की सिफारिश की है। एनएचपीसी

						बार बढ़ाई गई। अंतिम 22.01.2014 तक बढ़ाई गई।		का 22.01.2014 से आगे वैधता बढ़ाने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया और दिनांक 11.07.2014 के पत्र द्वारा एनएचपीसी से अनुरोध किया गया है कि वह अद्यतन विशेषताओं, लागत इत्यादि पर विचार करते हुए सीईए को नई डीपीआर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करें
24	डिबिन निजी	केएसकेडीएचपीएल	2x60	120	728.54*	04.12.09	48 माह 10/10	चरण-I की वन स्वीकृति 07.02.2012 को प्राप्त की गई तथा चरण-II वन स्वीकृति प्रतीक्षित है। पर्यावरणीय स्वीकृति 23.07.2012 के अनुसार है।
25	लोअर सियांग निजी	जेएवीएल	9x300	2700	19990.74*	16.02.10	114 माह 01/11	एमओईएफ द्वारा स्वीकृति अभी शेष है।
26	नाफ्रा निजी	एसएनईएल	2x60	120	848.22*	11.02.11	36 माह 07/11	पर्यावरणीय स्वीकृति 17.01.2011 और 19.08.2013 को प्राप्त की गई, चरण-I वन स्वीकृति 12.07.2011 को प्राप्त की गई और चरण-II स्वीकृति जून, 2012 में प्राप्त की गई। वित्तीय बंदी पूर्ण। वन भूमि के प्रत्यावर्तन के संबंध में अंतिम आदेश न होने के कारण निकासी रुक गई। ईपीसी ठेका आबंटित किया गया। ई एंड एम प्रक्रियाधीन है। नवंबर, 2014 में प्राप्त आरसीई 21.11.2014 को वापस लौटा दी गई। सहमति पश्चात वैधता भी 10.02.2014 को समाप्त हो गई।
27	नियामजंग छू निजी	बीईएल	6x130	780	6115.6*	24.03.11 वैधता 10.10.16 तक आगे बढ़ाई गई।	62 माह 01/12	पर्यावरणीय स्वीकृति 19.04.12 को प्राप्त की गई। चरण-I वन स्वीकृति 9.4.12 को प्राप्त किया गया। चरण-II वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
28	तवांग स्टेज-I केन्द्रीय/	एनएचपीसी	3x200	600	4824.01 (5/10)	10.10.11 वैधता 10.10.16 तक आगे बढ़ाई गई।	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 78 माह	पर्यावरणीय स्वीकृति 10.6.2011 को प्रदान की गई। वन स्वीकृति प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा 21.8.2011 को एमओईएफ को अग्रेषित किया गया। वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
29	टाटो-II निजी	टीएचपीपीएल	4x175	700	5616.20*	22.5.12	72 माह 01/12	पर्यावरणीय स्वीकृति 27.6.11 को प्रदान की गई। वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
30	तवांग स्टेज-II केंद्रीय/	एनएचपीसी	4x200	800	6112.3 (05/10)	22.09.11 वैधता 22.09.2016 तक आगे बढ़ाई गई।	सीसीईए स्वीकृति की तारीख से 83 माह	ईसी 10.6.11 को प्रदान किया गया। एफसी प्रस्ताव राज्य सरकार द्वारा 28.8.11 को एमओईएफ को अग्रेषित किया गया। एफसी प्रतीक्षित।
31	डेम्वे लोअर निजी	एडीपीएल	(5x342 +1x40 मेगावाट)	1750	13144.91*	20.11.09 टीईसी के पुनःवैधीकरण से पूर्व अद्यतन लागत प्रस्तुत	61 माह 04/11	पर्यावरणीय स्वीकृति 12.02.2010 को प्रदान की गई। वन स्वीकृति 03.05.2013 को प्रदान की गई। वित्तीय बंदी अभी प्राप्त की जानी है।

						करने के लिए लिए सीईए को कहा गया है।		
32	हिरोंग निजी	जेएपीएल	4x125	500	5532.63*	10.04.2013	78 माह 01/14	पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
33	इटालिन निजी	ईएचईपीसीएल	10x307 +1x19. 6+1x7. 4	3097	25296.95*	12.07.2013	84 माह 10/14	3097 मेगावाट की संशोधित संस्थापित क्षमता के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति स्वीकृति प्राप्त की जानी अभी शेष है। वन भूमि के डाइवर्जन के लिए वन स्वीकृति प्रस्ताव विकासकर्ता द्वारा 10.11.2012 के पत्र द्वारा राज्य वन विभाग को प्रस्तुत किया गया था। स्वीकृति प्राप्त होनी अभी शेष है।
34	तालोंग लोंडा निजी	जीएमआर	3x75	225	2172.88*	16.08.2013	60 माह 11/14	पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित। नदी तटीय पर्यावरण बहाव पर विचार करते हुए 6.3 मेगावाट की अतिरिक्त यूनिट हेतु प्रस्ताव सीईए को नवंबर, 2014 में प्रस्तुत किया गया।
35	नेइंग निजी	एनडीएससीपीएल	4x250	1000	9301.11	11.09.2013	72 माह 01/15	पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
36	सियोम	एसएचपीपीएल	6x166.6 7	1000	12100	17.12.13	78 माह 01/15	पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
37	कलाई-II	केपीपीएल	5x190+ 1x190+ 1x60	1200	14199.64*	27.3.15	87 माह,01/15	पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
38	हियो	एचएचपीपीएल	3x80	240	1614.35	16.04.15**	50 माह , 09/16	पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
39	**टाटो-I**	एसएचपीपीएल	3x62	186	1493.55	04.06.15**	50 माह 11/16	पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
	मिजोरम							
40	कोलोडाइन चरण-II केंद्रीय	एनटीपीसी	4x115	460	5188.13 (10/10)	14.09.11	68 माह 10/12	26.7.11 को संशोधित टीओआर प्रस्तुत किया गया। वन प्रस्ताव 20.12.2010 को राज्य सरकार को प्रस्तुत किया गया। पर्यावरणीय स्वीकृति एवं वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
	नागालैंड							
41	**दिखू**	एनएमपीपीएल	3x62	186	1994.74 (पूर्ण)	31.03.14	52 माह 01/16	पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
	मेघालय							
42	**किंशी-I**	एकेपीपीएल	2x135	270	3154.37 09/2015	31.3.2015		पर्यावरणीय स्वीकृति और वन स्वीकृति प्रतीक्षित।
	उप-जोड़ एनईआर			**20500**				
	कुल : अखिल भारत			**26638**				

* : पूर्ण लागत

** : सहमति मीटिंग आयोजित की गई। सहमति पत्र अभी जारी किया जाना है।

ईसी : वन स्वीकृति एफसी: वन स्वीकृति जेवीसी: संयुक्त उद्यम कंपनी

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या-222

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

ऊर्जा सुरक्षा

***222. श्री एस. थंगावेलुः**

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार वर्ष 2019 तक सभी के लिए ऊर्जा सुरक्षा एवं विद्युत उपलब्धता पर काम कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार पारेषण नेटवर्क को बढ़ाने के लिए बड़ी परियोजनाओं को हाथ में ले रही है; और

(ग) क्या अगले कुछ दिनों में दक्षिणी पारेषण ग्रिड में लगभग 700 मेगावाट विद्युत की वृद्धि होगी और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (ग) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

<u>विवरण</u>

"ऊर्जा सुरक्षा" के बारे में राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 222 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।

****

(क) : जी, हाँ। सरकार विभिन्न ईंधन संसाधनों के मिश्रण का प्रयोग करके विद्युत उत्पादन के माध्यम से देश में ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य कर रही है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) द्वारा किए गए 18वें विद्युत शक्ति सर्वेक्षण (ईपीएस) के माँग-अनुमान के आधार पर 12वीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के दौरान पारंपरिक स्रोतों से 88,537 मेगावाट उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) के अनुसार, 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नवीकरणीय स्रोतों से 30,500 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि की योजना बनाई गई है। अखिल भारतीय आधार पर इस क्षमता अभिवृद्धि से 18वें ईपीएस द्वारा अनुमानित विद्युत मांग 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम वर्ष तक पूरी किए जाने की संभावना है।

भारत सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भागीदारी में, वर्ष 2019 तक सभी कनेक्टेड उपभोक्ताओं को सभी के लिए चौबीसों घंटे विद्युत (पीएफए) प्रदान करने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) के लिए कार्य योजनाएं तैयार करने की संयुक्त रूप से पहल भी की है। आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के लिए राज्य-विनिर्दिष्ट दस्तावेज तैयार कर लिए गए हैं। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित दस्तावेज तैयारी के विभिन्न चरणों में है तथा दिसंबर, 2015 तक तैयार कर लिए जाएंगे।

(ख) : जी, हाँ।

(ग) : जी, हाँ। अगले कुछ दिनों में डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम पारेषण लाइनों के चालू होते ही उपलब्ध अंतरण क्षमता (एटीसी) दक्षिणी पारेषण ग्रिड में जुड़ जाएगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2320

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

एल. ई. डी. बल्बों का उपयोग

2320. श्री डी. कुपेन्द्र रेड्डीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में प्रदीप्त बल्बों को एल. ई. डी. लाइटों से बदले जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बल्बों को एल.ई.डी. लाइटों से बदलने के लिए कोई राजसहायता प्रणाली बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ग्रामीण क्षेत्रों जहां पर बार-बार विद्युत कटौती और कम वोल्टेज रहने की समस्याएं रहती हैं, में एल.ई.डी. के वितरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत मंत्रालय को सार्वजनिक क्षेत्र के 4 उपक्रम (पीएसयू) अर्थात नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एनटीपीसी), पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल), रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) और पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड (पीएफसी) की एक संयुक्त उद्यम कम्पनी एनर्जी एफिसिएन्सी सर्विसेज लिमिटेड (ईईएसएल) डोमेस्टिक एफिसिएन्ट लाइटिंग प्रोग्राम (डीईएलपी) कार्यान्वित कर रही है, जिसमें देश में 77 करोड़ इंसाडेन्सेन्ट बल्बों को उच्च गुणवत्ता वाले एल.ई.डी बल्बों में बदला जाएगा तथा घरेलू उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराए जायेंगे। आंध्रप्रदेश, पुद्दुचेरी, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और दिल्ली के 20 शहरों में घरेलू उपभोक्ताओं को 94.11 लाख एल.ई.डी बल्ब वितरित कर दिये गए हैं।

(ग) : जी, नहीं।

(घ) : यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में भी कार्यान्वित किया जा रहा है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2321

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

पारेषण और वितरण हानियां

2321. श्री अहमद पटेलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तथा चालू वर्ष में विद्युत के पारेषण और वितरण में हुई राजस्व हानियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त हानियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) विद्युत कंपनियों को राज्य-वार तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम-वार कुल कितनी हानियां हुई हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : ग्रिड हानियों के मापदण्ड के रूप में टीएण्डडी हानियों की बेहतर स्पष्टता के लिए एटीएण्डसी हानियों में प्रतिस्थापित किया गया है। राजस्व एकत्रीकरण में हानि सहित टीएण्डडी हानियों से हमें कुल तकनीकी एवं वाणिज्यिक (एटीएण्डसी) हानियों का पता चलता है। विभिन्न राज्यों में वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक एटीएण्डसी हानियों की प्रतिशतता दर्शाने वाला विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। वर्ष 2014-15 के लिए लेखा परीक्षित ब्यौरे राज्यों से अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।

(ख) : वितरण नेटवर्क में एटीएण्डसी हानियों की कमी करने का उत्तरदायित्व मुख्यत: डिस्कॉमों और विद्युत विभागों/यूटिलिटियों का होता है। तथापि, एटीएण्डसी हानियों की कमी को सुगम बनाने और विद्युत वितरण प्रणाली में सुधार करने के लिए सरकार ने विभिन्न कार्यक्रमों/स्कीमों अर्थात् डीडीयूजीजेवाई, आईपीडीएस, एफआरपी, एनईएफ इत्यादि (स्कीमों का ब्यौरा **अनुबंध-II** पर है) का शुभारम्भ किया है।

(ग) : 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार सीधे उपभोक्ताओं को बेचने वाली यूटिलिटियों के तुलनपत्र के अनुसार संचित हानियां 3,18,345 करोड़ रु. है। यूटिलिटी-वार और राज्य-वार ब्यौरा **अनुबंध-III** में दिया गया है।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2321 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

एटी एंड सी हानियों की प्रतिशतता

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2011-12	2012-13	2013-14
पूर्वी	बिहार	बीएसईबी	59.24	59.40	
		एनबीपीडीसीएल		50.85	41.93
		एसबीपीडीसीएल		45.77	48.70
	बिहार कुल		59.24	54.64	46.33
	झारखंड	जेएसईबी	42.76	47.49	42.17
	झारखंड कुल		42.76	47.49	42.17
	ओडिशा	सेसू	46.15	43.43	38.48
		नेसको	39.54	39.61	36.47
		सेसको	52.60	49.36	41.18
		वेसको	43.46	41.87	41.24
	ओडिशा कुल		44.66	42.88	39.19
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	58.32	53.51	71.23
	सिक्किम कुल		58.32	53.51	71.23
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	32.90	34.43	32.05
	पश्चिम बंगाल कुल		32.90	34.43	32.05
पूर्वी कुल			41.80	42.04	38.02
पूर्वोत्तर	अरूणाचल प्रदेश	अरूणाचल प्रदेश पीडी	65.55	60.26	68.20
	अरूणाचल प्रदेश कुल		65.55	60.26	68.20
	असम	एपीडीसीएल	29.47	31.85	30.25
	असम कुल		29.47	31.85	30.25
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	44.80	85.49	43.55
	मणिपुर कुल		44.80	85.49	43.55
	मेघालय	एमईसीएल	45.33		
		एमपीडीसीएल		36.25	35.38
	मेघालय कुल		45.33	36.25	35.38
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	36.59	27.55	32.53
	मिजोरम कुल		36.59	27.55	32.53
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	22.85	75.30	38.37
	नागालैंड कुल		22.85	75.30	38.37
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	33.76	24.86	27.81
	त्रिपुरा कुल		33.76	24.86	27.81
पूर्वोत्तर कुल			35.22	38.31	33.94
उत्तरी	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी	16.65	15.16	16.19
		बीएसईएस यमुना	25.54	17.94	15.51
		टीपीडीडीएल	15.67	13.12	9.75
	दिल्ली कुल		18.56	15.22	14.09
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	27.53	28.31	30.89
		यूएचबीवीएनएल	29.06	36.97	38.61
	हरियाणा कुल		28.27	32.55	34.33
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लि.	18.04	11.90	15.13
	हिमाचल प्रदेश कुल		18.04	11.90	15.13
	जम्मू एवं कश्मीर	जे एंड के पीडीडी	71.16	60.87	49.14
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		71.16	60.87	49.14
	पंजाब	पीएसपीसीएल	18.96	17.52	17.91

	पंजाब कुल		18.96	17.52	17.91
	राजस्थान	एवीवीएनएल	28.12	19.90	22.04
		जेडीवीवीएनएल	23.83	18.97	25.69
		जेवीवीएनएल	23.18	20.91	31.08
	राजस्थान कुल		24.81	20.00	26.76
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	40.50	45.69	36.47
		केसको	30.48	37.61	34.29
		एमवीवीएन	44.42	45.83	14.32
		पाश वीवीएन	35.95	33.39	23.49
		पूर्व वीवीएन	52.37	52.37	20.09
	उत्तर प्रदेश कुल		41.95	42.85	24.65
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	25.84	23.18	19.01
	उत्तराखंड कुल		25.84	23.18	19.01
उत्तरी कुल			30.34	28.89	24.86
दक्षिणी	आंध्र प्रदेश	एपीसीपीडीसीएल	17.77	15.64	17.54
		एपीईपीडीसीएल	10.53	10.15	6.57
		एपीएनपीडीसीएल	17.26	13.09	20.80
		एपीएसपीडीसीएल	12.19	12.74	11.77
	आंध्र प्रदेश कुल		15.27	13.70	14.77
	कर्नाटक	बेसकॉम	22.57	20.45	18.93
		चेसकॉम	28.99	30.42	33.92
		गेसकॉम	23.96	18.28	30.45
		हेसकॉम	23.62	20.44	20.42
		मेसकॉम	17.94	14.57	14.83
	कर्नाटक कुल		23.29	20.78	22.02
	केरल	केएसईबी	12.17	12.32	11.45
	केरल कुल				22.78
	पुदुचेरी	पुदुचेरी पीडी	12.17	12.32	16.38
	पुडुचेरी कुल		18.91	9.13	16.18
	तमिलनाडु	टीएनईबी	18.91	9.13	16.18
		टांगैडको	21.70	20.71	22.35
	तमिलनाडु कुल		21.70	20.71	22.35
दक्षिणी कुल			18.89	17.40	19.08
पश्चिमी	छत्तीसगढ़	सीएसपीडीसीएल	29.05	25.12	23.17
	छत्तीसगढ़ कुल		29.05	25.12	23.17
	गोवा	गोवा पीडी	15.12	14.14	10.72
	गोवा कुल		15.12	14.14	10.72
	गुजरात	डीजीवीसीएल	13.14	10.40	10.83
		एमजीवीसीएल	14.40	14.94	14.77
		पीजीवीसीएल	28.03	30.41	24.12
		यूजीवीसीएल	14.01	14.37	9.10
	गुजरात कुल		19.26	19.87	15.93
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	45.85	29.97	29.60
		एमपी पश्चिमी क्षेत्र वीवीसीएल	34.43	28.16	21.15
		एमपी पूर्वी क्षेत्र वीवीसीएल	34.94	36.40	34.83
	मध्य प्रदेश कुल		38.26	31.15	28.03
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	21.63	21.95	14.39
	महाराष्ट्र कुल		21.63	21.95	14.39
पश्चिमी कुल			24.81	23.36	18.37
सकल योग			**26.63**	**25.45**	**22.70**

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2321 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विद्युत वितरण प्रणाली सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें शुरू की गई हैं:

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई): सरकार ने निम्नलिखित संघटकों के साथ "दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)" की स्कीम अनुमोदित की है:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत की न्यायोचित आपूर्ति को सुकर बनाने के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडरों को पृथक करना, और

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित उप-पारेषण और वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन।

12वीं और 13वीं योजना में आरजीजीवीवाई की चालू स्कीम को डीडीयूजीजेवाई में ग्रामीण विद्युतीकरण के अभिन्न संघटक के रूप में समाहित किया गया है, जिसके लिए सरकार ने शेष राशि को आरजीजीवीवाई से डीडीयूजीजेवाई को अग्रेषित करने हेतु पहले ही अनुमोदन कर दिया है।

एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) :

सरकार ने निम्नलिखित उद्देश्यों से एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) अनुमोदित की है:

(i) शहरी क्षेत्रों में उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण;

(ii) शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग।

(iii) आर-एपीडीआरपी से आईपीडीएस के लिए अनुमोदित परिव्यय को अग्रेषित करके 12वीं एवं 13वीं योजना के लिए पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) जिसे अब आईपीडीएस में समाहित कर दिया गया है, के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए दिनांक 21.06.2013 के सीसीईए अनुमोदन के अनुसार वितरण क्षेत्र का आईटी सक्षमीकरण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण।

यह स्कीम एटी एण्ड सी हानियों में कमी, आईटी युक्त ऊर्जा लेखांकन/लेखा परीक्षा प्रणाली की स्थापना, मीटरीकृत खपत के आधार पर तैयार ऊर्जा बिल में सुधार और संग्रह दक्षता में सुधार करने में सहायक होगी।

वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी):

राज्य डिस्कामों के वित्तीय टर्न एराउंड को संभव बनाने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अक्तूबर, 2012 में राज्य स्वामित्व के डिस्कामों की वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफआरपी) को अनुमोदित और अधिसूचित किया गया। राज्य स्वामित्व के डिस्कामों की, जिन्हें भारी संचयी नुकसान हुआ है तथा अधारणीय ऋणी होना पड़ा है, अवनतिशील वित्तीय प्रचालनात्मक निष्पादन और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए और उनकी

दीर्घावधिक व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा राज्य डिस्कामों की वित्तीय पुनर्संरचना के लिए स्कीम को तैयार और अनुमोदित किया गया था। केन्द्र सरकार द्वारा ट्रांजिशनल वित्तीय तंत्र के माध्यम से उनके ऋणों की पुनर्संरचना में सहायता के द्वारा वित्तीय टर्न अराउंड प्राप्त करने के लिए राज्य डिस्काम और राज्य सरकार द्वारा किए गए उपाय इस स्कीम में शामिल हैं। एफआरपी के अंतर्गत स्कीम के अधीन विचार की गई पात्र राशि 1,19,000 करोड़ रुपए है। लगभग 56,908 करोड़ रुपए के बॉंड जारी किए जा चुके हैं और ऋणदाताओं द्वारा लगभग 51,204 करोड़ रुपए की अल्पावधिक देयताएं (एसटीएल) पुनर्संरचित की जा चुकी हैं।

<u>राष्ट्रीय विद्युत निधि (एनईएफ):</u>

भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2012-13 और 2013-14 के दौरान वितरण क्षेत्र में अवसंरचना के सुधार हेतु वित्तीय संस्थानों द्वारा संस्वीकृत पूंजीगत कार्यों के लिए, सार्वजनिक और निजी, दोनों, वितरण कंपनियों (डिस्कामों) द्वारा लिए गए ऋणों पर ब्याज सब्सिडी प्रदान करने के लिए जुलाई, 2012 में राष्ट्रीय विद्युत निधि (ब्याज सब्सिडी स्कीम) प्रारम्भ की है। राष्ट्रीय विद्युत निधि के अंतर्गत, 14 वर्षों में फैली लगभग 8466 करोड़ रुपए की ब्याज सब्सिडी उपलब्ध है। लगभग 26,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। पात्रता के लिए पूर्व शर्तें राज्यों द्वारा किए गए सुधार उपायों से जुड़ी होती हैं और ब्याज सब्सिडी की राशि सुधार से जुड़े पैरामीटरों में हासिल प्रगति से जुड़ी होती है।

****

अनुबंध-III

राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2321 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

उपभोक्ताओं को सीधे विक्रय करने वाली यूटिलिटियों के लिए संचयी हानियां

क्षेत्र	राज्य	यूटिलिटी	2011-12	2012-13	2013-14
पूर्वी	**बिहार**	बीएसईबी	-8,521		
		एनबीपीडीसीएल		-640	-714
		एसबीपीडीसीएल		-1,142	-1,410
	बिहार कुल		**-8,521**	**-1,782**	**-2,125**
	झारखण्ड	जेएसईबी	-9,290	-11,958	-13,468
	झारखण्ड कुल		**-9,290**	**-11,958**	**-13,468**
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसीएल	-212	-161	-126
	पश्चिम बंगाल कुल		**-212**	**-161**	**-126**
	ओडिशा	नेसको	-826	-906	-955
		सेसको	-766	-802	-815
		वेसको	-581	-716	-805
		सेसू	-1,543	-1,859	-2,058
	ओडिशा कुल		**-3,717**	**-4,283**	**-4,633**
पूर्वी कुल			**-21,740**	**-18,183**	**-20,352**
पूर्वोत्तर	**अरूणाचल प्रदेश**	अरूणाचल प्रदेश पीडी	-1,355	-1,610	-2,038
	अरूणाचल प्रदेश कुल		**-1,355**	**-1,610**	**-2,038**
	असम	एपीडीसीएल	-1,461	-1,880	-2,408
	असम कुल		**-1,461**	**-1,880**	**-2,408**
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	-1,760	-2,075	-2,269
	मणिपुर कुल		**-1,760**	**-2,075**	**-2,269**
	मेघालय	एमईसीएल	-320		
		एमपीडीसीएल		-468	-573
	मेघालय कुल		**-320**	**-468**	**-573**
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	-844	-1,044	-1,236
	मिजोरम कुल		**-844**	**-1,044**	**-1,236**
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	-1,149	-1,361	-1,552
	नागालैंड कुल		**-1,149**	**-1,361**	**-1,552**
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	-517	-683	-753
	त्रिपुरा कुल		**-517**	**-683**	**-753**
पूर्वोत्तर कुल			**-7,405**	**-9,120**	**-10,829**
उत्तरी	**दिल्ली**	बीएसईएस राजधानी	203	247	255
		बीएसईएस यमुना	194	219	231
		टीपीडीडीसीएल	1,272	1,581	1,757
	दिल्ली कुल		**1,668**	**2,048**	**2,242**
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	-7,286	-8,638	-10,286
		यूएचबीवीएनएल	-12,424	-14,720	-13,894
	हरियाणा कुल		**-19,709**	**-23,358**	**-24,180**
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लि.	-1,398	-1,739	-1,813
	हिमाचल प्रदेश कुल		**-1,398**	**-1,739**	**-1,813**
	जम्मू एवं कश्मीर	जे एंड के पीडीडी	-16,767	-19,896	-22,284
	जम्मू एवं कश्मीर कुल		**-16,767**	**-19,896**	**-22,284**
	पंजाब	पीएसपीसीएल	-2,177	-1,916	-1,660
	पंजाब कुल		**-2,177**	**-1,916**	**-1,660**
	राजस्थान	एवीवीएनएल	-14,503	-18,408	-23,251

		जेडीवीवीएनएल	-13,006	-17,291	-22,590
		जेवीवीएनएल	-13,432	-17,593	-23,097
	राजस्थान कुल		**-40,941**	**-53,293**	**-68,938**
	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	-10,298	-13,662	-19,183
		केसको	-2,102	-2,647	-3,321
		एमवीवीएन	-6,437	-8,470	-11,733
		पश्चिम वीवीएन	-6,280	-7,583	-10,754
		पूर्व वीवीएन	-8,483	-11,016	-15,110
	उत्तर प्रदेश कुल		**-33,600**	**-43,378**	**-60,102**
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	-2,003	-2,019	-1,695
	उत्तराखंड कुल		**-2,003**	**-2,019**	**-1,695**
उत्तरी कुल			**-1,14,928**	**-1,43,552**	**-1,78,430**
दक्षिणी	**आंध्र प्रदेश**	एपीसीपीडीसीएल	-111	-7,830	-8,641
		एपीईपीडीसीएल	122	-1,559	-1,694
		एपीएनपीडीसीएल	-13	-3,512	-3,545
		एपीएसपीडीसीएल	147	-4,528	-4,931
	आंध्र प्रदेश कुल		**146**	**-17,429**	**-18,812**
	कर्नाटक	बेसकॉम	-233	-665	-589
		चेसकॉम	-397	-667	-682
		गेसकॉम	-160	-331	-311
		हेसकॉम	-684	-643	-1,220
		मेसकॉम	59	71	72
	कर्नाटक कुल		**-1,415**	**-2,235**	**-2,731**
	केरल	केएसईबी	1,968	2,208	
	केरल कुल				-33
	पुडुचेरी	पुद्दुचेरी पीडी	**1,968**	**2,208**	**-33**
	पुडुचेरी कुल		-77	-385	-445
	तमिलनाडु	टीएनईबी	**-77**	**-385**	**-445**
		टैनजेडको	-26,801	-38,480	-52,466
	तमिलनाडु कुल		**-26,801**	**-38,480**	**-52,466**
दक्षिणी कुल			**-26,180**	**-56,321**	**-74,486**
पश्चिमी	**छत्तीसगढ़**	सीएसपीडीसीएल	-2,889	-3,387	-4,017
	छत्तीसगढ़ कुल		**-2,889**	**-3,387**	**-4,017**
	गोवा	गोवा पीडी	657	372	368
	गोवा कुल		**657**	**372**	**368**
	गुजरात	डीजीवीसीएल	196	221	273
		एमजीवीसीएल	119	140	159
		पीजीवीसीएल	63	73	84
		यूजीवीसीएल	35	49	63
	गुजरात कुल		**413**	**483**	**579**
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्र वीवीसीएल	-4,408	-6,001	-8,673
		एमपी पश्चिमी क्षेत्र वीवीसीएल	-4,498	-5,923	-7,734
		एमपी पूर्वी क्षेत्र वीवीसीएल	-5,505	-6,937	-8,824
	मध्य प्रदेश कुल		**-14,411**	**-18,861**	**-25,231**
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	-4,649	-5,584	-5,947
	महाराष्ट्र कुल		**-4,649**	**-5,584**	**-5,947**
पश्चिमी कुल			**-20,880**	**-26,977**	**-34,249**
सकल योग			**-1,91,132**	**-2,54,153**	**-3,18,345**

(स्रोत: पीएफसी)

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2322

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

राज्य बिजली बोर्डों की बकाया राशियां

2322. श्री वी. पी. सिंह बदनौरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में विभिन्न राज्य बिजली बोर्डों का बकाया कितना है तथा विद्युत खरीद का किसका कितना बकाया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन बकाया राशियों के क्या कारण हैं और विभिन्न वित्तीय सहायता पैकेजों के ब्यौरों के साथ इसे वे किस प्रकार से रोकेंगे?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : 30 जून, 2015 की स्थिति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को "देश में विभिन्न राज्य विद्युत यूटिलिटियों के बकाया देय" 20336.72 करोड़ रुपये हैं। इसके ब्यौरे **अनुबंध** में हैं।

(ख) : मोटे तौर पर, एसईबी के बकाया देयों के कारण निम्नानुसार हैं:

- एटी एंड सी हानियां राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय स्थिति को प्रभावित करती हैं;
- उच्च हानियां राजस्व दर प्रभाव डालती हैं, जिसके परिणामस्वरूप ऋणों की चुकौती के लिए, विद्युत क्रय हेतु ऋणदाताओं के भुगतान, ब्याज प्रभार इत्यादि के लिए निधि की कमी हो जाती है;
- एसईबी की खराब वित्तीय में गिरावट से, डिस्कॉम को अपने ऋणों को चुकता करने में कठिनाई बढ़ती जा रही है।

केन्द्र सरकार ने अक्तूबर, 2012 में राज्य स्वामित्व के डिस्कॉम की वित्तीय पुन:संरचना योजना (एफआरपी) को अनुमोदित तथा अधिसूचित किया है। वित्तीय पुन:संरचना की स्कीम सरकार द्वारा उन राज्य डिस्कॉम के खराब होते जा रहे प्रचालन संबंधी निष्पादन तथा वित्तीय स्थिति के परिप्रेक्ष्य में तथा उनकी दीर्घकालीन व्यवहार्यता को सुनिश्चित करने के लिए सूत्रबद्ध अनुमोदित की गयीं थीं जिन्हें भारी संचयी हानियां हो चुकी हैं तथा असतत् ऋण चढ़ चुका है। स्कीम में राज्य डिस्कॉम तथा राज्य सरकार द्वारा, केन्द्र सरकार के ट्रांजिशनल वित्त तंत्र के माध्यम से सहायता के साथ उनके ऋण की पुन:संरचना द्वारा वित्तीय टर्नअराउंड हासिल करने के लिए किए जाने वाले उपाय शामिल हैं। एफआरपी के अंतर्गत, स्कीम के अंतर्गत पात्र समझी गई राशि लगभग 1,19,000 करोड़ रुपये है। ऋणदाताओं द्वारा लगभग 56,098 करोड़ रुपये के बॉंड जारी किए जा चुके हैं तथा लगभग 51,204 करोड़ रुपये के अल्पकालीन ऋण (एसटीएल) पुन:संरचित किए जा चुके हैं।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2322 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

सीपीएसयू से 30 जून, 2015 तक प्राप्त सूचना के आधार पर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को भुगतान योग्य विद्युत यूटिलिटियों के बकाया देय (मूल एवं सरचार्ज)

सभी आंकड़े करोड़ रुपए में

क्रम सं.	राज्य/यूटिलिटी	एनटीपीसी		एनएचपीसी		पीजीसीआईएल		नीपको		एनपीसीआईएल		डीवीसी		एनएलसी		एसजेवीएनएल		बीबीएमबी		टीएचडीसी		एनएचडीसी		कुल
		मूल	सर.	मूल	सर.	मूल	सर.	मूल	सर.	मूल	सर.	मूल	सर.	मूल	सर.	मूल	सर.	मूल	सर.	मूल	सर.	मूल	सर.	
1	2	3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14
	बकाया देय की तिथि	**31.03.2015**		**31.05.2015**		**30.04.2015**		**31.05.2015**		**31.05.2015**		**31.05.2015**		**31.05.2015**		**31.05.2015**		**31.05.2015**		**31.05.2015**		**31.05.2015**		
	उत्तरी क्षेत्र																							
	हरियाणा																							
1	एचपीजीसीएल			**25.79**	0					**0.04**	0					0	0			**29.01**	**0.00**			**54.84**
2	एचवीपीएनएल					0																		0.00
3	एचपीपीसी			**110.59**	**0**																			
4	यूएचबीवीएन																							0.00
5	डीएचबीवीएन																							0.00
	कुल (हरियाणा)	0.00	0.00	**136.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**165.43**
	हिमाचल																							
6	एचपीएसईबी			**26.55**	**2.81**	**0.00**	0.00			**14.60**	2.26					19.32	0.00	**0.54**	**0.00**	**31.30**	**1.71**			**99.09**
7	एचपी सरकार															504.68	0.00							
	कुल (हिमाचल)	0.00	0.00	**26.55**	**2.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14.60**	**2.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**524.00**	**0.00**	**0.54**	**0.00**	**31.30**	**1.71**	**0.00**	**0.00**	**504.68**
	दिल्ली																							
8	डेसू	**0.00**	**0.00**																					**0.00**
9	डीटीएल			**-8.14**	**0.00**					0.01						8.75	0.00			0.00	**0.00**			**0.62**
10	डीपीसीएल			**14.19**	3.24					**0.00**	0.00													**17.43**
11	टीपीडीडीएल			**44.39**	0.00	0.00				**0.00**	0.00					128.47	0.00			**14.64**	0.00			**187.50**
12	बीवाईपीएल			**168.76**	**41.24**	**61.00**	0.00			**145.66**	31.91					0.00	0.00			**177.19**	**31.83**			**657.59**
13	बीआरपीएल			**139.63**	**18.64**	**78.00**	0.00			**142.53**	27.25					96.05	0.00			**188.74**	**19.88**			**710.72**
	कुल (दिल्ली)	**0.00**	**0.00**	**358.83**	**63.12**	**139.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**288.20**	**59.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**233.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**380.57**	**51.71**	**0.00**	**0.00**	**1573.85**
	जम्मू व कश्मीर																							
14	जे एंड के पीडीडी			**1414.93**	**368.86**	**183.00**	0.00			**345.61**	13.20					292.26	0.00	**6.57**	**0.23**	**161.08**	**8.54**			**2794.28**
15	जे एंड के पीडीसीएल															0.00								**0.00**
	कुल जे एंड के	0.00	0.00	**1414.93**	**368.86**	**183.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**345.61**	**13.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292.26**	**0.00**	**6.57**	**0.23**	**161.08**	**8.54**	**0.00**	**0.00**	**2794.28**
	पंजाब																							
16	पीएसईबी					**0.00**				**35.89**	0.00									**0.00**	**0.00**			**35.89**

17	पीएसपीसीएल			**165.11**	**1.84**											1.29	0.00			72.24	0.23			**240.71**
	कुल (पंजाब)	0.00	0.00	**165.11**	**1.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**72.24**	**0.23**	**0.00**	**0.00**	**276.60**
	राजस्थान																							
18	आरआरवीयूएनएल (बीएआरसी)					**158.00**				0.16	0.00							**86.00**	**6.05**					**250.21**
19	आरआरवीपीएनएल			**13.14**	**0.00**																			**13.14**
20	जेवीवीएनएल			**50.42**	**12.43**					**48.25**	31.61			**64.59**	**12.50**	3.76	0.00			**28.14**	**2.19**			**253.89**
21	एवीवीएनएल			**34.84**	**8.05**					**50.60**	15.22			**47.15**	**13.12**	4.38	0.00			**29.62**	**2.18**			**205.16**
22	जेडीवीवीएनएल			**41.56**	**8.61**					**80.69**	26.46			**61.10**	**15.07**	3.89	0.00			**37.16**	**2.54**			**277.08**
	कुल (राजस्थान)	0.00	0.00	**139.96**	**29.09**	**158.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**179.70**	**73.29**	**0.00**	**0.00**	**172.84**	**40.69**	**12.03**	**0.00**	**86.00**	**6.05**	**94.92**	**6.91**	**0.00**	**0.00**	**999.48**
	अन्य																							
23	एचडब्ल्यूबी (कोटा)									**11.10**	0.00													**11.10**
	उत्तर प्रदेश																							
24	यीपीपीसीएल			**278.04**	**16.63**	**0.00**				**286.14**	0.00					128.43	0.00			**944.47**	**19.39**			**1673.10**
25	यूपीआरवीयूएनएल																							0.00
26	यूपीजेवीएनएल																							0.00
	कुल (उत्तर प्रदेश)	0.00	0.00	**278.04**	**16.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**286.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**944.47**	**19.39**	**0.00**	**0.00**	**1673.10**
	उत्तराखंड																							
27	यूपीसीएल			**0.05**	0.00					**0.00**	0.00									**0.00**	0.00			**0.05**
	चंडीगढ़																							
28	सीपीडीडी			**-0.61**	0.00					**0.09**	0.00							**119.69**	**4.26**	0.00				**123.43**
	अन्य																							
29	मैसर्स एन.एफ.एल. नांगल																	**0.01**	0.00					**0.01**
30	बी.एस.एल. प्रोजेक्ट एस/नगर																	**0.22**	0.00					**0.22**
31	ब्यास प्रोजेक्ट तलवाड़ा																	**0.03**	0.00					**0.03**
32	इरीगेशन विंग नांगल																	0.00	0.00					0.00
	कुल (अन्य)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.26**	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.26**
	कुल (उत्तरी क्षेत्र)	**0.00**	**0.00**	**2519.24**	**482.35**	**480.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1161.37**	**147.91**	**0.00**	**0.00**	**172.84**	**40.69**	**1191.28**	**0.00**	**213.06**	**10.54**	**1713.58**	**88.48**	**0.00**	**0.00**	**8221.34**
	पश्चिमी क्षेत्र																							
	गुजरात																							
33	जीयूवीएनएल									**1.14**	**0.00**													**1.14**
	गोवा																							
34	गोएड									**0.00**														**0.00**
	मध्य प्रदेश																							
35	एमपीपीटीसीएल				0.00					**0.00**										0.00	0.00			0.00

36	एमपीपीजीसीएल																							0.00
	कुल (मध्य प्रदेश)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	महाराष्ट्र																							
37	एमएसईडीसीएल									**2.73**	**0.00**													**2.73**
	दादरा नगर व सिलवासा																							
38	विद्युत विभाग					0.00				**0.00**	0.00													**0.00**
	दमन व दीव																							
39	विद्युत विभाग									**0.00**	**0.00**													**0.00**
	छत्तीसगढ़																							
40	सीएसईबी									**8.43**	**0.00**													**8.43**
	अन्य									**0.00**	0.00													
41	एमपीपीएमसीएल जबलपुर			0.67	0.00																1.97	0.01	**3.71**	0.00	**6.36**
	कुल (पश्चिमी क्षेत्र)	0.00	0.00	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**12.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1.97**	**0.01**	**3.71**	**0.00**	**18.66**
	दक्षिणी क्षेत्र																							
	आंध्र प्रदेश																							
42	एपी ट्रांस्को									**84.97**	0.00													**84.97**
43	एपीसीपीडीसीएल																							
44	एपीईपीडीसीएल													**182.77**	**0.43**									**183.20**
45	एपीएनपीडीसीएल																							
46	एपीएसपीडीसीएल																							
	कुल (आंध्र प्रदेश)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**84.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**182.77**	**0.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268.17**
	कर्नाटक																							
47	बेस्कॉम					0.00				**0.00**	0.00													**0.00**
48	मेस्कॉम									**0.50**	0.00													**0.50**

49	सेस्कॉम									**0.04**	0.00													**0.04**
50	हेस्कॉम									**76.07**	**0.36**													**76.43**
51	जेस्कॉम									**0.00**	0.00													**0.00**
52	तेलंगाना									**-0.11**	0.00													**-0.11**
53	इस्कॉम्स													**213.15**	**0.06**									**213.21**
	कुल (कर्नाटक)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**76.50**	**0.36**	**0.00**	**0.00**	**213.15**	**0.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**290.07**
	बीएआरसी									**0.00**	**0.00**													
54	केएसईबी									**6.90**	**0.00**			**108.94**	**42.29**									**158.13**
	तमिलनाडु																							
55	टीएनईबी									287.65	**0.82**			**551.87**	**0.00**									**840.34**
	पुडुचेरी																							

56	पीईडी									**2.10**	0.00			**76.41**	**0.00**									**78.51**
	कुल (दक्षिणी क्षेत्र)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**458.12**	**1.18**	**0.00**	**0.00**	**1133.14**	**42.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1635.22**
	पूर्वी क्षेत्र																							
57	**डीवीसी**			**11.93**	**0.00**	**47.00**	**0.00**																	**58.93**
	बिहार																							
58	बीएसईबी			**21.43**	**4.14**	**38.71**	5.29					**3.73**												**73.30**
	सिक्किम																							
59	विद्युत विभाग			**-0.01**	**0.01**																			**0.00**
	पश्चिम बंगाल																							
60	डब्ल्यूबीएसईबी			**258.73**	**5.51**	**38.88**	7.12					**-8.21**												**302.03**
	झारखंड																							
61	जेएसईबी			**4.86**	**0.00**	**0.00**	0.00					**4679.99**	**4094.45**											**8779.30**
	ओडिशा																							
62	ग्रिडको			**8.27**	**1.10**	**0.00**	20.46																	**29.83**
	अन्य																							
63	एमईए (नेपाल को विद्युत)			**12.05**	0.00																			**12.05**
64	पीटीसी (नियंत्रित विद्युत)			**0.00**	**0.00**																			**0.00**
	कुल (अन्य)	**0.00**	**0.00**	**12.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12.05**
	कुल (पूर्वी क्षेत्र)	**0.00**	**0.00**	**317.26**	**10.76**	**124.59**	**32.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4675.51**	**4094.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9255.44**
	पूर्वोत्तर क्षेत्र																							
	अरुणाचल प्रदेश																							
65	विद्युत विभाग			**0.65**	**0.00**	**0.00**		**24.95**	0.71															**26.31**
	असम (एपीडीसीएल)																							
66	एपीडीसीएल			**-0.12**	**0.19**	**0.00**	0.00	**272.88**	**272.88**															**545.83**
	मणिपुर																							
67	विद्युत विभाग			**-0.01**	**0.00**	**0.00**	0.00	**19.26**	35.06															**54.31**
	मेघालय																							
68	एमईएसईबी			**17.44**	**4.65**	**12.00**	0.00	**285.01**	**141.12**															**460.22**
	मिजोरम																							
69	विद्युत विभाग			**0.13**	**0.03**	**4.00**		**12.70**	17.88															**34.74**
	नागालैंड																							
70	विद्युत विभाग			**0.33**	**0.00**	**0.00**	0.00	**0.05**	0.00															**0.38**
	त्रिपुरा																							
71	टीएसईसीएल			**0.52**	**0.00**	**0.00**		**64.18**	19.57															**84.27**
	कुल पूर्वोत्तर क्षेत्र)	0.00	0.00	**18.94**	**4.87**	**16.00**	**0.00**	**679.03**	**487.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1206.06**
	सकल योग	**0.00**	**0.00**	2856.11	**497.98**	**620.59**	**32.87**	**679.03**	**487.22**	**1631.79**	**149.09**	**4675.51**	**4094.45**	**1305.98**	**83.47**	**1191.28**	**0.00**	**213.06**	**10.54**	**1715.55**	**88.49**	**3.71**	**0.00**	**20336.72**

- सूचना तिथि तक एनएलसी से अभी प्राप्त की जानी है।

यूटिलिटियां

1	एपीसीपीडीसीएल	आंध्र प्रदेश सेंट्रल पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लि.
2	एपीईपीडीसीएल	आंध्र प्रदेश ईस्टर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.
3	एपीजीसीएल	असम पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.
4	एपीएनपीडीसीएल	आंध्र प्रदेश नॉर्थन पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.
5	एपीएसपीडीसीएल	आंध्र प्रदेश साउदर्न पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.
6	एपी ट्रांसको	आंध्र प्रदेश ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि.
7	एमवीवीएनएल	अजमेर विद्युत वितरण निगम लि.
8	बीबीएमबी	भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड
10	बेस्कॉम	बैंगलोर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.
11	बीआरपीएल	बीएसईएस राजधानी पावर लि.
12	बीवाईपीएल	बीएसईएस यमुना पावर लि.
13	सेसकॉम	चामुंडेश्वरी इलैक्ट्रिसिटी कंपनी लि.
14	सीपीडीडी	चंडीगढ़ पावर डेवलेपमेंट डिपार्टमेंट
15	डीएचबीवीएन	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम
16	डीपीसीएल	दिल्ली पावर कंपनी लि.
17	डीटीएल	दिल्ली ट्रांसको लि.
18	डेसू	दिल्ली इलैक्ट्रिक सप्लाई अंडरटेकिंग
19	डीवीसी	दामोदर वैली कारपोरेशन
20	एस्कॉम्स	इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (कर्नाटक)
21	जेसकॉम	गुलबर्ग इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.
22	गोएड	गोवा इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट
23	जीयूवीएनएल	गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
24	हेस्कॉम	हुबली इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.
25	एचपीजीसीएल	हरियाणा पावर जेनरेशन कारपोरेशन लि.
26	एचवीपीएनएल	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लि.
27	यूएचबीवीएन	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम
28	एचपीएसईबी	हिमाचल प्रदेश स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड
29	एचपीपीसी	हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन लि.
30	एचपीपीसी	हरियाणा पावर परचेज सेंटर
31	एचडब्ल्यूबी	हैवी वाटर बोर्ड (कोटा)
32	जे एंड के पीडीसीएल	जम्मू व कश्मीर पावर डेवलेपमेंट कारपोरेशन लि.
33	जे एंड के पीडीडी	जम्मू व कश्मीर पावर डेवलेपमेंट डिपार्टमेंट
34	जेडीवीवीएनएल	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि.
35	जेवीवीएनएल	जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
36	एमईएस	विदेश मंत्रालय
37	मेस्कॉम	मंगलौर इलैक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि.
38	एमपीपीजीसीएल	मध्य प्रदेश पावर जेनरेशन कं. लि.
39	एमपीपीटीसीएल	मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लि.
40	एमपीपीएमसीएल	मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी लि.
41	एमएसईडीसीएल	महाराष्ट्र स्टेट इलैक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कं. लि.
42	टीपीडीडीएल	टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लि.
43	नीपको	नॉर्थ ईस्टर्न इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लि.
44	एनएचडीसी	नर्मदा हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन
45	एनएचपीसी	नेशनल हाइड्रो पावर कारपोरेशन
46	एनएलसी	नैवेली लिग्नाइट कारपोरेशन
47	एनपीसीआईएल	न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
48	एनटीपीसी	नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन
49	पीईडी	पुडुचेरी इलैक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट
50	पीजीसीआईएल	पावरग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.
51	पीएसपीसीएल	पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लि.
52	आरआरवीपीएनएल	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि.
53	आरआरवीयूएनएल	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.
54	एसजेवीएनएल	सतलज जल विद्युत निगम लि.
55	टीएचडीसी	टिहरी हाइड्रो डेवलेपमेंट कारपोरेशन
56	टीएसईसीएल	त्रिपुरा स्टेट इलैक्ट्रिसिटी कारपो. लि.
57	यूएचबीवी	उत्तर हरियाणा बिजली वितरम निगम
58	यूपीसीएल	उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि.
59	यूपजेवीएनएल	उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लि.
60	यूपीपीसीएल	उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि.
61	यूपीआरवीयूएनएल	उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि.
62	पीटीसी	पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2323

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

(डी.डी.यू.जी.जे.यू.) का कार्यान्वयन

2323. श्री डी. राजाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर.जीजी.वी.वाई.) को प्रतिस्थापित करते हुए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डी.डी.यू.जी.जे.यू.) नामक नया ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसकी क्या विशेषताएं हैं;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण हेतु राज्य-वार गाँवों की पहचान करने के लिए कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश में सम्पूर्ण ग्रामीण विद्युतीकरण को हासिल करने के लिए क्या समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जा रहा है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : भारत सरकार ने 43,033 करोड़ रु. की कुल लागत से दिसम्बर, 2014 मे दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना अनुमोदित की है। पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को अब डीडीयूजीजेवाई में समाहित कर दिया गया है। डीडीयूजीजेवाई की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

(i) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि एवं गैर-कृषि उपभोक्ताओं को न्यायोचित आपूर्ति की पुन: बहाली को सुकर बनाते हुए कृषि और गैर-कृषि फीडरों का पृथक्करण।

(ii) वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग सहित ग्रामीण क्षेत्रों में उप-पारेषण एवं वितरण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण और संवर्द्धन।

(iii) ग्रामीण विद्युतीकरण।

(ग) और (घ) : वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में बसे हुए गाँवों की कुल संख्या 5,97,464 है। इनमें से 18,452 गाँव गैर-विद्युतीकृत रिपोर्ट किए गए हैं। शेष गाँवों के विद्युतीकरण के लिए वर्ष-वार लक्ष्य इस प्रकार हैं:

वर्ष	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	कुल
गाँव	3500	4050	5100	5802	18452

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2324

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

अति वृहद विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

2324. श्री तपन कुमार सेनः
श्री अजय संचेतीः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) अब तक कितनी अति वृहद विद्युत परियोजनाएं (यू.एम.पी.पी.) शुरू की गई हैं तथा उनकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) मौजूदा तथा प्रस्तावित अति वृहद विद्युत परियोजनाओं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार कितनी अति वृहद विद्युत परियोजनाओं ने विद्युत उत्पादन शुरू कर दिया है और निष्क्रिय अति वृहद विद्युत परियोजनाएं, यदि कोई हैं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या स्थानीय लोगों के प्रतिरोध के कारण किसी अति वृहद विद्युत परियोजना को बंद किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो बाधाओं को दूर करने और इन परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : अब तक चार यूएमपीपी अर्थात मध्यप्रदेश में सासन, गुजरात में मुंद्रा, आंध्रप्रदेश में कृष्णापट्टनम और झारखंड में तिलैया सफल बोलीदाताओं को अवार्ड किए गए हैं। मुंद्रा और सासन यूएमपीपी पूर्णरूप से कमीशन हो चुके हैं। अवार्ड किए गए यूएमपीपी की स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

जारी.....2/-

(ख) : इन यूएमपीपी की प्रत्येक की संस्थापित क्षमता लगभग 4000 मेगावाट है।

(ग) : मुंद्रा और सासन यूएमपीपी पूर्ण रूप से कमीशन हो चुके हैं और विद्युत उत्पादन कर रहे हैं। तिलैया यूएमपीपी और कृष्णापट्टनम यूएमपीपी **अनुबंध** में दिए गये करणों की वजह से प्रचालन नहीं कर रहे हैं।

(घ) : आंध्रप्रदेश सरकार ने आंध्रप्रदेश में दूसरे यूएमपीपी के लिए वेटापलम मंडल के कोठापेटा गांव में अभिचिन्हित स्थल का अनुमोदन दिनांक 15.06.2009 को सूचित कर दिया है। तथापि स्थानीय विरोध के कारण और जिला प्रशासन की सलाह पर स्थल को प्रकाशम जिले के नयनपल्ली गांव में शिफ्ट कर दिया गया है। बाद में, आंध्रप्रदेश सरकार ने विभिन्न कारणों से आगे नहीं बढ़ने का निर्णय लिया और विद्युत मंत्रालय ने वर्ष 2014 में परियोजना को बंद करने का निर्णय लिया।

(ङ) : राज्य सरकारें यूएमपीपी के लिए उपयुक्त स्थल अभिचिन्हित करती हैं। राज्य सरकारों को स्थानीय लोगों द्वारा उठाये गए मुद्दों का शीघ्र समाधान करने या ऐसे मामलों का समाधान करने में विफल होने की स्थिति में वैकल्पिक स्थल अभिचिन्हित करने का अनुरोध किया गया है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2324 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

अवार्ड की गई अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं की स्थिति

क्रम संख्या	यूएमपीपी का नाम	स्थान	स्थिति
1.	सासन यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला सिंगरौली, मध्य प्रदेश में सासन	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 07.08.2007 को अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
2.	मुंद्रा यूएमपीपी (5x800 मेगावाट)	जिला कच्छ, गुजरात में ग्राम टुंडावंड में मुंद्रा	परियोजना मैसर्स टाटा पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 24.04.2007 को अंतरित की गई। परियोजना पूरी तरह चालू हो गई है।
3.	कृष्णापटनम यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में कृष्णापटनम	परियोजना मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड को अवार्ड की गई और 29 जनवरी, 2008 को अंतरित की गई। विकासकर्ता ने इंडोनेशिया में कोयला मूल्य निर्धारण के नए विनियम को देखते हुए कार्यस्थल पर काम रोक दिया है। प्रापकों ने समाप्ति नोटिस जारी कर दिया है। मामला न्यायाधीन है।
4.	तिलैया यूएमपीपी (6x660 मेगावाट)	जिला हजारीबाग तथा कोडरमा, झारखण्ड में तिलैया गाँव के निकट	परियोजना अवार्ड की गई और मैसर्स रिलायंस पावर लिमिटेड (आरपीएल) को 07 अगस्त, 2009 को अंतरित की गई। विकासकर्ता, झारखंड इंटीग्रेटेड पावर लि. (जेआईपीएल, आरपीएल की एक सहायक कंपनी) ने, झारखंड सरकार द्वारा विकासकर्ता को भूमि का अंतरण न किए जाने का उल्लेख करते हुए दिनांक 28.04.2015 को विद्युत क्रय करार (पीपीए) की समाप्ति का नोटिस जारी किया है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2325

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

कर्णाटक में विद्युत उत्पादन के लिए निधियां

2325. श्री आयनुर मंजूनाथाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कर्णाटक में विद्युत उत्पादन में हुई वृद्धि का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों को विद्युत उत्पादन में आत्म-निर्भर बनाने के लिए गत तीन वित्तीय वर्षों तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा मद-वार कितनी-कितनी निधियां प्रदान की गई हैं;

(ग) क्या कर्णाटक सरकार ने इस उद्देश्यार्थ अधिक निधियों की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : कर्नाटक में वर्ष 2012-13, 2013-14 एवं 2014-15 के दौरान कुल उत्पादन क्रमश: 52,471.01 मिलियन यूनिट (एमयू), 58,427.16 एमयू और 59,858.19 एमयू था।

(ख) : विद्युत उत्पादन विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार एक लाइसेंसमुक्त क्रियाकलाप है, उत्पादन परियोजना विकासकर्ता, उत्पादन परियोजना (परियोजनाओं) के लिए निधियों की व्यवस्था करता है। इसलिए, राज्य को विद्युत उत्पादन में स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। तथापि, निधियां राज्यों द्वारा मानकों के अनुसार विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए संस्थाओं द्वारा निधियां दी जाती हैं।

(ग) से (ङ) : विद्युत मंत्रालय में कर्नाटक सरकार से ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2326

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

पारेषण परियोजना

2326. श्री हुसैन दलवई:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने पारेषण परियोजनाओं को उच्च प्राथमिकता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो पारेषण परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उनको प्रारंभ किए जाने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं; और

(घ) इससे राष्ट्रीय ग्रिड कितना मजबूत और सुदृढ़ होगा?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, हाँ।

(ख) और (ग) : वर्ष 2015-16 के दौरान चालू किए जाने हेतु लक्षित पारेषण लाइनों और सब-स्टेशनों के राज्य-वार ब्यौरे क्रमशः **अनुबंध-I और अनुबंध-II** पर हैं। राज्य क्षेत्र में पारेषण प्रणाली के अतिरिक्त, अंतर-राज्यीय और अंतरक्षेत्रीय पारेषण प्रणालियां भी हैं जिनसे राष्ट्रीय ग्रिड की स्थापना होती है।

(घ) : राष्ट्रीय ग्रिड का विकास एक सतत प्रक्रिया है और वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रिड की अंतर क्षेत्रीय विद्युत अंतरण क्षमता 47450 मेगावाट है। कई उच्च क्षमता अंतर राज्यीय पारेषण प्रणालियां कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं, जिनके पूरा होने पर राष्ट्रीय ग्रिड का और सुदृढ़ीकरण सुगम बनेगा। इस प्रक्रिया में, राष्ट्रीय ग्रिड की संचयी अंतर क्षेत्रीय विद्युत पारेषण क्षमता 12वीं योजना के अंत अर्थात मार्च, 2017 तक 65,850 मेगावाट से अधिक की वृद्धि किए जाने पर विचार किया गया है। राज्यों के भीतर पारेषण प्रणाली के कार्यान्वयन से राष्ट्रीय ग्रिड से प्रत्येक राज्य में मांग केंद्र को विद्युत के वितरण में सुविधा होगी।

****

अनुबंध-I

राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2326 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2015-16 के दौरान चालू करने के लिए लक्षित की गई पारेषण लाइनों का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य का नाम	वोल्टेज लेवल (केवी)	पारेषण लाइन का नाम	सर्किट	लक्ष्य की लंबाई (सर्किट कि.मी.)
दिल्ली	220	पीरागढ़ी-वजीरपुर	डी/सी	17
		मुंडका में कंझावाला - नजफगढ़ का एलआईएलओ	डी/सी	11
हरियाणा	220	दीपालपुर-सोनीपत (एचएसआईडीसी)	एम/सी	84
		गुड़गांव सेक्टर 72 -नुह - रंगला रायपुर	एस/सी	152
		हुकमावली में चोरमर - फतेहाबाद लाइन का एलआईएलओ	डी/सी	42
		सोंटा में चीका - दुराला के दोनों सर्किटों को एलआईएलओ	डी/सी	80
		भिवानी-भिवानी	डी/सी	15
		भिवानी - ईशरवाल	डी/सी	65
		दीपालपुर - सोनीपत (सेक्टर 6)	डी/सी	5
		खटकर (जींद) में नरवाना - मुंड का एलआईएलओ	2xडी/सी	44
हिमाचल प्रदेश	220	करियन - चमेरा-II	डी/सी	4
		कशांग - भाबा (दूसरा सर्किट)	एस/सी	39
पंजाब	220	गोइंदवाल साहिब - बोटियनवाला	डी/सी	80
		बजाखाना - बघा पुराना	डी/सी	71
		मजरा में गंगुवाल - मोहाली लाइन का एलआईएलओ	एस/सी	21
		जडला में जीजीएसएसटीपी - जमशेर लाइन का एलआईएलओ	डी/सी	21
		बादल में मलॉट - जीएनडीटीपी भटिंडा लाइन का एलआईएलओ	डी/सी	50
		मलॉट - अबोहर	डी/सी	30
		तलवंडी भाई - धर्मकोट	डी/सी	63
		मोगा - मेहल कलन	डी/सी	105
		नकोदर - रेहाना जट्टन	डी/सी	71
		मखू - रशियाना	डी/सी	92
		राजपुरा - लालरू	डी/सी	59
		बलचक - नारायणग्रंथ	डी/सी	33
		कंजाली साइंस सिटी - जालंधर	डी/सी	29
राजस्थान	400	भदला-बीकानेर	डी/सी	360
		बीकानेर-मेरटा	एस/सी	200
		चित्तौड़गढ़-भीलवाडा	डी/सी	99
		फागी जीएसेस (जयपुर) - हीरपुरा	डी/सी	89
		फागी (जयपुर दक्षिण - 765 केवी) - अजमेर लाइन	डी/सी	213
		जोधपुर (न्यू) में जोधपुर - मेरटा लाइन का एलआईएलओ	डी/सी	99
	220	भीनानल - सयला लाइन	डी/सी	78
		हिंदुआं - चोंकरवाड़ा	डी/सी	110
		जेथाना - अजमेर लाइन	डी/सी	61
		कोटपुटली (पीजी) - बंसुर	डी/सी	82
		अमबेरी में कंकरौली (पीजी) - देवाड़ी का एलआईएलओ	डी/सी	30
		नीमराणा (पीजी) - बेहरर	डी/सी	54

उत्तर प्रदेश	400	अलीगढ़-सिकंदराबाद	डी/सी	190
		अनपरा बी - अनपरा डी	डी/सी	10
	220	औरेइ - फूलपुर	एस/सी	71
		बदायूँ-संभल	एस/सी	86
		देवरिया-रसरा	एस/सी	83
		दोहना-सी.बी. गंज	एस/सी	48
		अलीगढ़ में हरदुआगंज - हाथरस का एलआईएलओ	डी/सी	43
		हरुआ में सारनाथ (400) - आजमगढ़ का एलआईएलओ	एस/सी	42
		प्रतापगढ़ में सुल्तानपुर - फूलपुर का एलआईएलओ	डी/सी	48
		रोसा-दोहना	डी/सी	216
		शाहजहांपुर - निघासन	एस/सी	121
		सीतापुर - निघासन	एस/सी	110
उत्तराखंड	400	श्रीनगर एचईपी - श्रीनगर	डी/सी	28
जम्मू व कश्मीर	220	वगूरा-बुदगम-जैनकोट	डी/सी	60
छत्तीसगढ़	400	रैता-जगदलपुर	डी/सी	662
	220	छूर-मोपका (बिलासपुर)	डी/सी	189
		रायगढ़ (पीजी) में रायगढ़ - बुदीपदर का एलआईएलओ	डी/सी	19
गुजरात	400	चरनका-वेलोदा	डी/सी	199
		नदीनार (एस्सार)-अमरेली (बैलेंस)	डी/सी	239
	220	चरनका-जंगराल	डी/सी	191
		कसोर-हिरांग	डी/सी	37
		हलवड़-सदला लाइन	डी/सी	76
		सिक्का में जामनगर-जैतपुर का एलआईएलओ	डी/सी	120
		हदाला में कंगासियाली-नैयरा का एलआईएलओ	डी/सी	34
		धुवरन में कसौर-बोटेड का एलआईएलओ	डी/सी	82
मध्य प्रदेश	220	सतना-छतरपुर (सर्किट-II)	डी/सी	160
		अशोक नगर में बीना-गुना का एलआईएलओ	डी/सी	8
		सिरमौर में रेवा-टोन का एलआईएलओ	डी/सी	10
महाराष्ट्र	400	कोराडी टीपीएस-वर्धा	डी/सी	239
		औरंगाबाद-II में भुसावल-II - औरंगाबाद 400 केवी के दोनों सर्किटों का एलआईएलओ	डी/सी	154
	220	चंद्रपुर-II-एमआईडीसी-बल्लरशाह	डी/सी	40
		चंद्रपुर-II - टडाली	डी/सी	40
		कमलेश्वर - वरूद	डी/सी	170
		कोराडी टीपीएस - न्यू खापरखेड़ा	डी/सी	29
		वर्धा (पीजी) में भुगाओं-पुसाड का एलआईएलओ	डी/सी	14
		मुधलटिट्टा में कोल्हापुर-सावंतवड़ी का एलआईएलओ	डी/सी	26
		वरौरा में वरौरा-वर्धा का एलआईएलओ	डी/सी	50
		मालेगांव-कलवन	डी/सी	97
		सवंगी-भोकरधन	डी/सी	133
		वर्धा (पीजीसीआईएल) - घटोडी	डी/सी	322
		वरौरा-वर्धा	डी/सी	165
तमिलनाडु	400	कालिवंथापट्टु-सोलिंगनल्लूर	एस/सी	52
		रासिपालायम-अनैकाडवु	डी/सी	86
		थप्पाकुंडु-अनैकावडु	डी/सी	358
		थिरूवलम-अलमथी	डी/सी	150
		तिरूनेलवी-कनरपट्टी	एस/सी	16
		कनरपट्टी-कायाथर	डी/सी	24
	220	कराईकुडी-सेमबट्टी	एस/सी	140
		किन्नीमंगलम में चेक्कानरौनी-टीटीपीएस-I का एलआईएलओ	डी/सी	8

		करुवलूर में अरासुर-करमदई लाइन का एलआईएलओ	डी/सी	6
		थिरूवरकड्डू में अलामथी-कोयमबेडु लाइन का एलआईएलओ	डी/सी	2
		अंबट्टूर में करट्टूर-कोयमबेडु लाइन का एलआईएलओ	डी/सी	4
		कुंक्कोनम में थिरूवरूर-कदलंगुडी लाइन का एलआईएलओ	डी/सी	40
		गुरूबारापल्ली में शूलागिरी-सिंगारापेट लाइन का एलआईएलओ	डी/सी	2
		उलुंडूरपेट में नैवेली जीरो यूनिट-नैवेली-टीएस-II का एलआईएलओ	डी/सी	52
		उलुंडूरपेट में उलुंडेरपेट - एसटीसीएमएस का एलआईएलओ	डी/सी	68
		ओमेगा में कालीवंथापट्टू-वीरापुरम का एलआईएलओ	डी/सी	39
		ओट्टियमबक्कम-ओमेगा	डी/सी	70
आंध्र प्रदेश	400	कृष्णापटट्नम टीपीएस - चित्तूर (बैलेंस)	डी/सी	180
		पुरुषोतापट्टनम (नुन्ना)-जुज्जुरू	डी/सी	112
	220	अपन्नादोरापलेम-बोब्बिली	डी/सी	163
		गरीविडी-बोब्बिली	डी/सी	75
		जमलमाडुगु-चकरायापेट	डी/सी	172
		जमलमाडुगु - पोरूमामिल्ला	डी/सी	198
		जमलमाडुगु - तिरूमलायापल्ली	डी/सी	54
		पुलीवेंदुला-हिंदूपुर	डी/सी	250
		उर्वाकोंडा - कलयनदुरिंग	डी/सी	86
		उर्वाकोंडा - वजरकारुर	डी/सी	32
कर्नाटक	220	चिक्कोडी-कुदाची	डी/सी	70
		मधुगिरी-पवागडै	डी/सी	120
		सोमानाहली-मलूर-कोलार	डी/सी	180
		वजामंगला-काडाकोला	डी/सी	39
		विकास टेक पार्क में सोमानाहली-मलूर का एलआईएलओ	डी/सी	9
केरल	220	पोथेनकोड-कट्टाक्कड़ा	डी/सी	57
तेलंगाना	220	जयपुर टीपीपी-रंगमपेट	डी/सी	150
		रंगमपेट-गजवेल	डी/सी	150
बिहार	220	बिहटा-सिपारा	डी/सी	108
		गया-सोनेगर	डी/सी	200
पश्चिम बंगाल	220	खड़गपुर-विद्यासागर पार्क	डी/सी	92
		तीस्ता एलडीपी-III-तीस्ता एलडी-IV - न्यू जलपाईगुड़ी	डी/सी	166
ओडिशा	220	पुरी (समनगरा) - पंडियाबिल	डी/सी	90
		अतरी - पंडियाबिल	डी/सी	44
		बोलिंगीर - केसिंगा	डी/सी	160
असम	220	बोंगाईगांव टीपीपी-रंगिया	डी/सी	322
		नामरूप-मरियानी लाइन	डी/सी	160

डी/सीः डबल सर्किट

एस/सीः सिंगल सर्किट

एम/सीः मल्टी सर्किल

****

अनुबंध-II

राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2326 के भाग (ख) और (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

2015-16 के दौरान चालू होने के लिए लक्षित किए गए उपकेंद्र का राज्य-वार ब्यौरा

राज्य का नाम	उपकेंद्र का नाम	वोल्टेज अनुपात	ट्रांसफॉर्मेशन क्षमता (एमवीए)
दिल्ली	लोधी रोड (जीआईएस)	220/33	100
हरियाणा	पंचगांव	220/66	320
	पंचगांव	220/33	100
	मीरपुर कुराली एस/एस	220/66	200
	सोनीपत (सेक्टर-6)	220/33	200
	सोनीपत (आरजीईसी)	220/33	200
हिमाचल प्रदेश	भोक्तो	220/33	31.5
पंजाब	राजपुरा एस/एस	400/220	1000
	अबोहर एस/एस	220/66	100
	बादल न्यू एस/एस	220/66	100
	माजरा एस/एस	220/66	160
	छजली (अतिरिक्त)	220/66	100
	देवीगढ़ (दूसरा अतिरिक्त)	220/66	160
	बनूर (दूसरा अतिरिक्त)	220/66	100
	सरना (अग.)	220/66	100
	नूरमहल (अग.)	220/66	100
	नारायणगढ़ एस/एस	220/132	160
	घुबाया (अग.)	220/66	50
	जदला एस/एस	220/132	160
राजस्थान	अजमेर एस/एस	400/220	315
	रामगढ़ एस/एस	400/220	1500
	ऑउ एस/एस	220/132	160
	बदीसिद एस/एस	220/132	160
	बमनटुकड़ा एस/एस	220/132	100
	दंता रामगढ़	220/132	100
	झलमंद	220/132	100
	कनासर एस/एस	220/132	320
	जेथाना एस/एस	220/132	100
उत्तर प्रदेश	अलीगढ़ एस/एस	400/220	1000
	मुरादनगर-II एस/एस	400/220	480
	देबाई एस/एस	220/132	200
	हरुआ	220/33	120
	निघासन (लखीमपुर) एस/एस	220/132	200
	टांडा	220/132	320
उत्तराखंड	श्रीनगर एस/एस	400/220	630
जम्मू व कश्मीर	एलूस्टेंग एस/एस	220/132	320
छत्तीसगढ़	जगदलपुर एस/एस	400/220	630
गुजरात	हलवड़	400/220	315
	राजकोट (हदाला) आईसीटी-II	400/220	315
	वेलोडा (संखारी)	400/220	1000
	चरडवा एस/एस	220/66	200
	चरनका एस/एस	220/66	500
	मंजूवास एस/एस	220/11	50

	मोदासा एस/एस	220/66	200
मध्य प्रदेश	नगड़ा (अतिरिक्त)	400/220	315
	कटनी	400/220	315
	सिरमौर	220/132	160
	जुलवनिया एस/एस	220/132	320
	अशोकनगर (उन्नयन)	220/132	160
	शिवपुरी (अतिरिक्त)	220/132	160
	बेतुल (अतिरिक्त)	220/132	160
महाराष्ट्र	औरंगाबाद-III एस/एस	765/400	1500
	औरंगाबाद-II	400/220	500
	चंद्रपुर-II	400/220	500
	नांदेड़ एस/एस	400/220	500
	बल्लरशाह एस/एस	220/132	50
	मालेगांव-II एस/एस	220/132	100
	नंदगांव पेथ एस/एस	220/33	100
	वीले भागड़ एस/एस	220/33	50
आंध्र प्रदेश	बोब्बिली (विजियानाग्राम)	220/132	100
	गोद्दमवरीपली	220/11	50
	गोदुमर्री	220/11	100
	वजराकरूर	220/132	100
	येल्लानुर	220/11	50
कर्नाटक	अरासीकेरे एस/एस	220/110	200
	जिगानी (2x150)	220/66	300
	कुडलिगी (बेदेलाडुकु) एस/एस	220/66	200
	पवागढ़ा एस/एस	220/66	100
	विकास टेक पार्क (2x150)	220/66	300
तमिलनाडु	अनैकावडु एस/एस	400/230	515
	कनरपट्टी एस/एस	400/230	700
	सोलिंगनल्लूर	400/230	515
	थोप्पाकुंडू (3x200) एस/एस	400/110	200
	अमबट्टूर	230/110	100
	ओमेगा एस/एस	230/110	100
	कुंहाकोनन एस/एस	230/110	100
	किन्नीमंगलम एस/एस	230/110	100
	करूवलूर एस/एस	230/110	100
	गुरूवारापल्ली	230/110	100
	थिरूवेकड्डू	230/110	200
	सिंगापुरम एस/एस	230/110	100
	उलुंडुरपेट एस/एस	230/110	100
	व्यासरपडी	230/110	100
तेलंगाना	सूर्यापेट	400/220	315
	एर्रागड्डा	220/132	160
	ओसिमानिया यूनिवर्सिटी	220/132	160
पश्चिम बंगाल	धर्मपुर	220/132	320
	विद्यासागर पार्क	220/132	320
बिहार	सोननगर	220/132	100
	समस्तीपुर	220/132	100
ओडिशा	अटरी	220/132	320
	पुरी (समनगारा)	220/132	320
	मेंधासल एस/एस	220/33	200
असम	सोनाबिल	220/132	200

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2327

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत उपलब्धता के लिए योजना

2327. श्री प्रभात झाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या केन्द्रीय सरकार देश में जन सामान्य को समान व कम कीमत पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष कदम उठा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में किसानों को कम कीमत पर पर्याप्त विद्युत उपलब्ध कराने की किसी योजना पर सरकार काम कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) से (घ) : विद्युत एक समवर्ती विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में जन सामान्य तथा किसानों सहित विभिन्न उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत, कम लागत विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण करना संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से विद्युत संयंत्रों एवं पारेषण प्रणालियों की स्थापना कर सभी उपभोक्ताओं के लिए 24x7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों का प्रशुल्क भारत सरकार द्वारा जारी विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 61 और 62 के अधीन प्रावधानों और प्रशुल्क नीति, 2006 के अनुसार संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित की जाती है। प्रशुल्क नीति, 2006 के प्रमुख उद्देश्यों में से एक उद्देश्य उपभोक्ताओं को उचित एवं प्रतिस्पर्द्धात्मक दरों पर विद्युत की उपलब्धता सुनिश्चित कराना है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2328

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत की स्थिति में सुधार

2328. श्री प्रभात झाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत एक साल में विद्युत उत्पादन में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि हुई है तथा देश में बिजली की कमी घटकर अब तक के रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार बड़ा बिजली संयंत्र स्थापित करने, बेकार पड़े गैस आधारित संयंत्रों को बहाल करने, उच्चतम मांग के दौरान विद्युत की कमी दूर करने, और वितरण में निवेश लाने की व्यापक योजनाओं पर काम कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : जी, हाँ। वर्ष 2014-15 के दौरान विद्युत उत्पादन गत वर्ष अर्थात वर्ष 2013-14 के संबंध में 8.4% की वृद्धि दर सहित 1048.67 बिलियन यूनिट (बीयू) था जो पिछले दो दशकों में सबसे अधिक वृद्धि है। वर्ष 2014-15 के दौरान देश में ऊर्जा के संबंध में विद्युत की कमी 3.6% थी जो विगत दो दशकों में सबसे कम भी थी।

(ग) और (घ) : बड़ी क्षमता की विद्युत परियोजनाओं का विकास करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने, विद्युत मंत्रालय के माध्यम से 4000 मेगावाट क्षमता के अल्ट्रा मेगा पावर प्रोजेक्ट्स (यूएमपीपी) की स्थापना करने के लिए नवंबर, 2005 में पहल का शुभारंभ किया है। अब तक, चार (4) यूएमपीपी अवार्ड किए गए हैं। सरकार ने पाँच (5) नए यूएमपीपी स्थापित करने की घोषणा की है।

भारत सरकार ने वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए भी एक स्कीम संस्वीकृत की है। इस स्कीम में स्ट्रेंडेड गैस आधारित संयंत्रों तथा रिवर्स ई-बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए घरेलू गैस प्राप्त कर रहे संयंत्रों को आयातित स्पॉट आरएलएनजी की आपूर्ति की परिकल्पना है। इससे व्यस्ततम समय के दौरान भी विद्युत की मांग पूरा करने में सहायता मिलेगी।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2329

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की रेटिंग

2329. श्री माजीद मेमनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र में विशेषज्ञों द्वारा कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की रेटिंग (मूल्यांकन) के संबंध में किए गए एक पर्यावरणीय अध्ययन से अवगत है जिसमें भारत की ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों को प्रदूषण मानकों की अनुपालना, संसाधनों और समग्र प्रचालन दक्षता के उपयोग के रूप में विश्व की सर्वाधिक अदक्षतापूर्ण इकाइयां बताया गया है;

(ख) क्या इस अध्ययन में इस बात को भी नोट किया गया है कि दिल्ली देश में सर्वाधिक प्रदूषण फैलाने वाले विद्युत संयंत्रों में से एक का घर है-राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के बदरपुर ताप विद्युत संयंत्र ने राजधानी को विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर बनाने में योगदान दिया है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपचारी उपाय किए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विज्ञान एवं पर्यावरण केन्द्र (सीएसई) ने देश के कुछ चुनिंदा ताप विद्युत संयंत्रों के निष्पादन के संबंध में "कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों की विद्युत ताप-हरित रेटिंग" पर रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

भारत में उच्च राखांश वाले कोयले तथा आस-पास की हवा और शीतलन जल के उच्चतर तापमान के कारण, देश में ताप विद्युत संयंत्रों से कार्बन डाईआक्साईड (CO_2) उत्सर्जन वैश्विक मानकों की तुलना में अधिक है जिसके परिणामस्वरूप कोयले की अधिक खपत होती है।

(ख) : बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र की सभी प्रचालित उत्पादन इकाइयां दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति के वायु एवं जल सम्मति आदेश में निर्धारित पर्यावरणीय मानदण्डों को पूरा कर रही हैं।

जारी.....2/-

(ग) : भारत सरकार ने कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों की दक्षता में सुधार लाने के लिए और विद्युत क्षेत्र के कार्बन फुट प्रिंट को कम करने के लिए पहले ही निम्नलिखित पहल की हैं:

I. विद्युत मंत्रालय द्वारा सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी अपनाने को बढ़ावा दिया जा रहा है। सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी पर आधारित 27,485 मेगावाट की क्षमता पहले ही चालू की जा चुकी है तथा लगभग 50,725 मेगावाट सुपरक्रिटिकल क्षमता निर्माणाधीन है।

II. अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाएं (यूएमपीपी) के लिए सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी को अनिवार्य बनाया गया है।

III. सरकार द्वारा 1500 करोड़ रुपए की लागत से उन्नत अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल प्रौद्योगिकी अनुसंधान परियोजना अनुमोदित की गई है जिसमें कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए उच्चतर दक्षता प्राप्त करने, कार्बन डाईआक्साईड उत्सर्जन और कोयला खपत घटाने के लिए भेल, एनटीपीसी तथा इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केन्द्र (आईजीसीएआर) शामिल है।

IV. पुरानी ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों के नवीकरण, आधुनिकीकरण तथा कार्यकाल विस्तार और पुरानी एवं अदक्ष ताप विद्युत उत्पादन इकाइयों को बंद करने का कार्य चरणबद्ध ढंग से शुरू किया जा चुका है। आज तक 3,115 मेगावाट की कुल क्षमता को पहले ही बंद किया जा चुका है तथा 2667 मेगावाट क्षमता को 12वीं योजना के अंत तक बंद किया जाना है।

V. सरकार ने निर्णय लिया है कि पुराने संयंत्रों को दिये गये आश्वासन पत्र (एलओए)/लिंकेज सार्वजनिक क्षेत्र में समीपवर्ती सुपरक्रिटिकल क्षमता के नए संयंत्र स्वत: स्थानांतरित हो जाएंगे। यदि नए सुपरक्रिटिकल संयंत्र की क्षमता पुराने संयंत्र से अधिक है तो कोयले की उपलब्धता के अधीन, बेहतर प्रयास के आधार पर, पुराने संयंत्र की 50% अतिरिक्त क्षमता तक अतिरिक्त कोयला लिंकेज प्राथमिकता के आधार पर दिया जाएगा।

VI. राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा निधि के अंतर्गत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए कोयला उपकर को 100 रुपये प्रति टन से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति टन करके दोगुना कर दिया गया है।

VII. सरकार ने वर्ष 2022 तक स्वच्छ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से 1,75,000 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि करने की योजना बनाई है।

VIII. भारत सरकार ने बनाओ, अपनाओ तथा चलाओ (पीएटी) स्कीम प्रारंभ की है जिसमें मौजूदा ताप विद्युत संयंत्रों की दक्षता में सुधार लाने के लक्ष्य दिए जाते हैं।

IX. सीईए ने ताप विद्युत संयंत्रों के लिए इष्टतम भूमि एवं उपभोग योग्य जल की आवश्यकताओं पर क्रमश: सितम्बर, 2010 तथा जनवरी, 2012 में रिपोर्टें प्रकाशित की है जिनका ताप विद्युत स्टेशनों द्वारा अनुवर्तन किया जा रहा है।

X. फ्लाई ऐश का उपयोग, जो वर्ष 1996-97 में 6.64 मिलियन टन (9.63%) था, वह बढ़कर वर्ष 2013-14 में 99.62 मिलियन टन (57.63%) हो गया है

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2330

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

डी.वी.सी. विद्युत संयंत्र में पणधारिता को कम करना

2330. श्री टी. रतिनावेलः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार की पश्चिमी बंगाल में रधुनाथपुर में उत्पादन से सिंचाई उपयोगिता डीवीसी के कोयला आधारित विद्युत संयंत्र में 26 प्रतिशत पणधारिता के प्रस्ताव की योजना है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उच्च विद्युत संयंत्र के केन्द्रीय विद्युत उत्पादन उपयोगिता एनटीपीसी द्वारा अधिग्रहीत किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : जी, नहीं

(ख) और (ग) : एनटीपीसी ने दिनांक 21.02.2104 के राउन्ड 1 ईओआई और दिनांक 17.11.2014 के राउन्ड 2 ईओआई के द्वारा "एनटीपीसी द्वारा संभावित अधिग्रहण के लिए अपनी कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजनओं के प्रस्ताव हेतु राज्य विद्युत बोर्डों/विद्युत उत्पादन कम्पनियों, स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आईपीपी), विद्युत संयंत्र विकासकर्ताओं, कैप्टिव विद्युत उत्पादकों, या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अभिरूचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) मांगी है।

दिनांक 17.11.2014 की अभिरूचि की अभिव्यक्ति के लिये एनटीपीसी के नोटिस के प्रति उत्तर में डीवीसी ने संपूर्ण रघुनाथपुर परियोजना को छोड़ने के लिए एनटीपीसी को दिनांक 15.12.2014 को आवेदन प्रस्तुत किया।

तत्पश्चात, एनटीपीसी और डीवीसी के बीच मई, 2015 में हुई बैठक में सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमति बनी कि एनटीपीसी व्यवहार्यता प्रमाणित होने के अध्यधीन डीवीसी के प्रस्ताव पर विचार करेगा।

09 जून, 2015 को डीवीसी बोर्ड ने डीवीसी में निधि की अत्यंत खराब स्थिति के कारण रघुनाथपुर की संपूर्ण परियोजना (चरण-1 व चरण-2) एनटीपीसी लि. को सौंपने पर सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

तथापि, एनटीपीसी द्वारा किसी भी विद्युत संयंत्र को अधिग्रहित करना वित्तीय, तकनीकी, वाणिज्यिक एवं विधि संबंधी व्यवहार्यता प्रमाणित होने पर निर्भर करेगा।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2331

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

ग्रामों का विद्युतीकरण

2331. श्रीमती कनक लता सिंहः

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत गत 3 वर्षों में कितने गांवों/बस्तियों में विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या ऐसा अध्ययन करवाया गया है जिससे यह पता चल सके कि कितने गांव/बस्ती अभी विद्युतीकरण हेतु बाकी हैं जिससे लक्ष्य निर्धारित करने में सुविधा होगी;

(ग) उत्तर प्रदेश में आरजीजीवीवाई योजना के तहत गत 3 वर्षों में कितने गांवों का विद्युतीकरण किया गया, जनपद-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) मंत्रालय के समक्ष कितने ऐसे प्रतिवेदन आए हैं जिनमें आरजीजीवीवाई योजना के तहत विद्युतीकरण की मांग की गई है; विस्तृत ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : विगत तीन वर्षों के दौरान पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत विद्युतीकृत गांवो की संख्या निम्नानुसार हैः-

क्रम. सं.	**वर्ष**	**विद्युतीकृत गांव**
1	2012-13	2587
2	2013-14	1197
3	2014-15	1405

जारी.....2/-

(ख) : जी नहीं, तथापि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में बसे हुए गांवो की कुल संख्या 5,97,464 है। दिनांक 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार इसमें से 18,452 गांवों को गैर विद्युतीकृत के रूप में रिपोर्ट किया गया है।

(ग) : विगत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में पूर्ववर्ती आरजीजीवीवाई के अन्तर्गत कुल 63 गांवो को विद्युतीकृत किया गया है। जिले-वार ब्यौरा निम्नानुसार हैः

क्रम सं.	**जिला का नाम**	**विद्युतीकृत गांवो की संख्या**
1	कन्नौज	44
2	मैनपुरी	7
3	बहराइच	4
4	बुलन्दशहर	8

(घ) : भारत सरकार ने दिसंबर, 2014 में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) अनुमोदित की है और पूर्ववर्ती राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई) को स्कीम के ग्रामीण विद्युतीकरण (आरई) घटक के रूप में समाहित किया गया है। डीडीयूजीजेवाई के आरई घटक के अन्तर्गत अब तक 7 राज्यों से प्राप्त 163 विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई हैं और दिनांक 6.08.2015 को हुई निगरानी समिति की बैठक में डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत 14 राज्यों से प्राप्त 305 डीपीआर पर भी विचार किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त उत्तरप्रदेश राज्य से और 67 डीपीआर प्राप्त हुए हैं जिनकी डीडीयूजीजेवाई के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी रूरल इलैक्ट्रिफिकेशन कारपोरेशन द्वारा संवीक्षा की जा रही है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2332

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

निजी विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन

2332. श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

श्रीमती कनक लता सिंहः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) किन-किन राज्यों ने गत 3 वर्षों में विद्युत की कमी को दूर करने हेतु राज्य में निजी भागीदारी से विभिन्न परियोजनाओं को स्थापित करने के संबंध में मंत्रालय को जानकारी दी है और उससे संबंधित कुछ प्रोत्साहन की मांग रखी है; और

(ख) इस अवधि में ऐसे प्रस्तावों पर किन-किन राज्यों को राज्य-वार क्या-क्या संसाधन उपलब्ध करवाये गये हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत अधिनियम, 2003 के पश्चात विद्युत उत्पादन लाइसेंस मुक्त है। विद्युत मंत्रालय और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि अरूणाचल प्रदेश में पांच जल विद्युत परियोजनाएं सर्वेक्षण और जांच के अधीन हैं जिनमें राज्य सरकार की साम्या सहभागिता है। परियोजनाओं की सूची **अनुबंध** में दी गई है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2332 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

राज्य सरकार द्वारा साम्या सहभागिता वाले निजी क्षेत्र को आबंटित की गई जल विद्युत परियोजनाओं की सूची

क्रम सं.	स्कीम का नाम	राज्य	बेसिन/नदी	डीपीआर के लिए एजेंसी	क्षमता (मेगावाट)
1	एमरा-II	अरुणाचल प्रदेश	दिबांग	एथेना एनर्जी वेंचर्स लि.	390
2	डिनचांग	अरुणाचल प्रदेश	कामेंग	केएसके एनर्जी वेंचर्स लि.	252
3	सुबानसिरी अपर	अरुणाचल प्रदेश	सुबानसरी	केएसके एनर्जी वेंचर्स लि.	2000
4	ओजू	अरुणाचल प्रदेश	सुबानसिरी	नवयुग इंजी. कं. लि.	1800
5	पॉक	अरुणाचल प्रदेश	सियांग	वेलकन एनर्जी प्रा. लि.	145
	कुल				**4587**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2333

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

बिहार में विद्युत आपूर्ति में सुधार

2333. श्री प्रेम चन्द गुप्ताः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने बिहार में विद्युत की कमी को पूरा करने के लिए रूपरेखा तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान है;

(ग) क्या सरकार बिजली की कमी की समस्या को दूर करने हेतु एनटीपीसी के बाड़ सुपर ताप विद्युत संयंत्र से अतिरिक्त बिजली राज्य सरकार को देने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है। राज्य/संघ शासित क्षेत्र में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति, राज्य/संघ शासित क्षेत्र में विद्युत की मांग को पूरा करने हेतु ब्लूप्रिन्ट तैयार करना संबंधित राज्य सरकार/ राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि केन्द्र सरकार, केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र उपक्रमों (सीपीएसयू)/ राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों और पारेषण एवं वितरण प्रणालियाँ स्थापित करके राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

(ग) और (घ) : वर्तमान में, बिहार को केंद्रीय उत्पादन केंद्रों से 2603 मेगावाट विद्युत आबंटित की गई हैं। बिहार का बाढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन (बीएसटीपीएस) चरण-1 से 523 मेगावाट और (बीएसटीपीएस) चरण-2 से 660 मेगावाट का निश्चित हिस्सा है। इसके अतिरिक्त, बिहार सरकार के अनुरोध पर पश्चिम बंगाल के अभ्यर्पित हिस्से से बिहार को बीएसटीपीएस चरण-1 से 502 मेगावाट और (बीएसटीपीएस) चरण-2 से 199 मेगावाट आबंटित की गई है।

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2334

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

सभी घरों में विद्युत की आपूर्ति

2334. श्री राम नाथ ठाकुरः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार घर-घर बिजली पहुंचाने को कृतसंकल्प है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) बिहार में कितने जिलों के कितने गांवों में अब तक बिजली नहीं पहुंची है और ऐसे गांवों को बिजली की आपूर्ति कब तक किए जाने की उम्मीद है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत एक समवर्ती विषय है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी) में विभिन्न उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति एवं वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी के अधिकार क्षेत्र में आता है। केन्द्र सरकार केन्द्रीय विद्युत क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू) के माध्यम से केन्द्रीय क्षेत्र में विद्युत संयंत्रों एवं पारेषण प्रणालियों की स्थापना कर और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) तथा एकीकृत विद्युत विकास स्कीम (आईपीडीएस) जैसी भारत सरकार की अन्य स्कीमों के माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत आपूर्ति उपलब्ध करवाने में राज्य सरकारों के प्रयासों को बढ़ावा देती है।

भारत सरकार ने 24x7 सभी के लिए विद्युत उपलब्ध (पीएफए) करवाने हेतु सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कार्य योजना तैयार करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ भी एक संयुक्त पहल की है। आंध्र प्रदेश और राजस्थान राज्य के लिए राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार किए गए हैं। अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित राज्य विशिष्ट दस्तावेज तैयार करने के विभिन्न चरणों में हैं और दिसम्बर, 2015 तक पूरे हो जाएंगे।

(ग) : आज की तारीख के अनुसार, बिहार में 2948 गांव गैर-विद्युतीकृत, इनमें से 2457 गांवों (2409 गांव - ग्रिड-कनेक्टिड, 48 गांव - ऑफ-ग्रिड) की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत संस्वीकृत की गई है और कार्य कार्यान्व्यन के विभिन्न चरणों में है। ग्रिड कनेक्शन के जरिए विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों का जिला-वार/परियोजना-वार ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है। शेष 491 गैर-विद्युतीकृत गांवों के लिए बिहार ने डीपीआर प्रस्तुत नहीं की है और इसके राज्य द्वारा ग्रिड-ऑफ के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2334 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

ग्रिड कनेक्शन के जरिए विद्युतीकृत किए जाने वाले गांवों का जिला-वार/परियोजना-वार ब्यौरा

क्रम सं.	जिला/परियोजना का नाम	गैर-विद्युतीकृत गांव (सं.)
1	औरंगाबाद	68
2	बांका (एस)	11
3	भागलपुर	105
4	भोजपुर (एस)	5
5	बक्सर	67
6	दरभंगा	24
7	गया (एस)	22
8	गोपालगंज	277
9	जिहानाबाद	8
10	जमुई	5
11	कैमूर	20
12	कैथर	921
13	खगरिया	21
14	किशनगंज	10
15	लखीसराय	24
16	मुंगेर	2
17	नवादा	1
18	पश्चिम चम्पारण	191
19	पूर्व चम्पारण	25
20	पुरनिया	9
21	रोहतास	4
22	समस्तीपुर	42
23	सरन	502
24	शेखपुरा	4
25	शिवहर	4
26	सीतामढ़ी	17
27	सुपोल	13
28	वैशाली	7
	कुल	**2409**

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2335

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

ताप विद्युत संयंत्रों का संस्थापित क्षमता से कम पर प्रचालन

2335. श्री पी. एल. पुनियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में कई ताप बिजली घर मांग में कमी की वजह से क्षमता से कम बिजली उत्पन्न कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में संयंत्रों द्वारा कुल कितनी क्षमता से विद्युत उत्पादन किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि मांग से कम बिजली उत्पन्न करने के कारण विद्युत संयंत्रों की लागत बढ़ रही है; और

(घ) यदि हां, तो गत एक वर्ष में विद्युत संयंत्रों को कितनी हानि हुई?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न ताप संयंत्रों के कुल विद्युत उत्पादन और उनके संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) के ब्यौरें **अनुबंध** में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : जी, हाँ। विभिन्न विद्युत केंद्रों द्वारा सूचित अनुसार वर्ष 2014-15 के दौरान कम प्रणाली मांग (लाभग्राहियों द्वारा कम अनुसूची दी गई) के कारण उत्पादन की कुल हानि लगभग 37 बिलियन यूनिट है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2335 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

ताप विद्युत स्टेशन के लिए राज्य-वार उत्पादन और पीएलएफ

स्टेशन का नाम	2014-15	
	उत्पादन (मिलियन यूनिट)	पीएलएफ (%)
अकलतारा टीपीएस	3305.03	38.51
अमरावती टीपीएस	2142.32	41.55
अमरकंटक एक्सटें. टीपीएस	2264.09	57.44
अनपरा सी टीपीएस	8340.24	79.34
अनपरा टीपीएस	10587.13	74.15
बदरपुर टीपीएस	3281.21	53.13
बकरेश्वर टीपीएस	8010.81	87.09
बंदेल टीपीएस	1094.79	27.77
बारादरहा टीपीएस	292.36	0.01
बाढ़-II	1758.05	40.43
बरखेड़ा टीपीएस	561.95	71.28
बेल्लारी टीपीएस	5807.03	66.29
भिलाई टीपीएस	3241.1	74
भुसावल टीपीएस	5893.09	47.38
बीना टीपीएस	2444.91	55.82
बोकारो `बी` टीपीएस	1634.38	29.61
बज बज टीपीएस	5852.54	89.08
बुटीबोरी टीपीपी	3644.48	69.34
चकाबुरा टीपीपी	223.09	84.89
चंद्रपुर (महाराष्ट्र)	12507.39	61.02
चंद्रपुर (डीवीसी) टीपीएस	4977.56	63.84
छाबड़ा टीपीपी	4684.34	65.07
डी.पी.एल. टीपीएस	1408.04	19.14
दादरी (एनसीटीपीपी)	12284.72	77.05
दहानु टीपीएस	3997.22	91.26
दामोदरम संजीव्याह टीपीएस	1082.2	5.65
धारीवाल टीपीपी	475.68	9.94
डॉ. एन. टाटा राव टीपीएस	12788.66	82.95
डीएसपीएम टीपीएस	3748.91	85.59
दुर्गापुर स्टील टीपीएस	3862.72	44.09
दुर्गापुर टीपीएस	1301.68	43.7
एमको वरौरा टीपीएस	3614.9	68.78
एन्नोर टीपीएस	621.52	15.77
फरक्का एसटीपीएस	13378.93	72.73
गांधी नगर टीपीएस	3390.7	44.49
जीएच टीपीएस (लेह. मोह.)	4507.89	55.93
जीएनडी टीपीएस (भटिंडा)	1432.72	37.17
हल्दिया टीपीपी	356.23	39.33
हरदुआगंज टीपीएस	3601.08	61.82

आईबी वैली टीपीएस	2798.93	76.07
इंदिरा गांधी एसटीपीपी	7022.93	53.45
जोजोबेरा टीपीएस	2537.54	80.46
जेएसडब्ल्यू रत्नागिरी टीपीपी	7639.71	72.68
कहलगांव टीपीएस	15618.7	76.19
काकातिया टीपीएस	4106.3	93.75
कालीसिंध टीपीएस	1209.12	25.77
कमलंगा टीपीएस	4838.77	52.61
कसाईपल्ली टीपीएस	1774.95	75.04
कवाई टीपीएस	7866.36	68.03
खांबरखेड़ा टीपीएस	527.56	66.92
खापरखेड़ा टीपीएस	8260.6	70.37
कोडरमा टीपीपी	1856.38	22.64
कोलाघाट टीपीएस	7199.03	65.22
कोराडी टीपीएस	2330.88	25.58
कोरबा एसटीपीएस	20060.75	88.08
कोरबा-II	950.22	54.24
कोरबा-III	1261.16	59.99
कोरबा-वेस्ट टीपीएस	9632.12	82.06
कोटा टीपीएस	8905.89	81.99
कोथागुडेम टीपीएस	4428.57	70.21
कोथागुडेम टीपीएस (न्यू)	7331.6	83.69
कुंदरकी टीपीएस	536.81	68.09
महादेव प्रसाद एसटीपीपी	2212.58	46.77
महान टीपीपी	450.69	8.57
महात्मा गांधी टीपीएस	6537.48	56.54
मैथॉन आरबी टीपीपी	6684.08	72.67
मकसूदपुर टीपीएस	527.59	66.92
मौदा टीपीएस	2310.91	26.38
मेजिया टीपीएस	11638.82	56.78
मेट्टूर टीपीएस	9232.89	73.19
मुंद्रा टीपीएस	30323.97	74.93
मुंद्रा यूएमटीपीपी	26577.6	75.85
मुजफ्फरपुर टीपीएस	895.52	46.47
नासिक टीपीएस	4202.05	76.14
न्यू कोसिपोर टीपीएस	68.95	4.92
निवारी टीपीपी	337.16	85.53
नॉर्थ चेन्नई टीपीएस	9850.57	61.11
ओबरा टीपीएस	3593.23	32.1
ओपी जिंदल टीपीएस	8112.66	92.61
पानीपत टीपीएस	4403.69	36.96
पंकी टीपीएस	981.96	53.38
पारस टीपीएस	2930.31	66.9
परीछा टीपीएस	6335.09	63.44
पार्ली टीपीएस	4583.14	46.3
पथाडी टीपीपी	2239.46	42.61
पतरातु टीपीएस	773.68	11.47
रायचूर टीपीएस	10979.42	72.87
राजघाट टीपीएस	423.54	35.81
राजीव गांधी टीपीएस	5697.39	54.2
राजपुरा टीपीपी	5727.31	55.09
रामागुंडेम-बी टीपीएस	193.4	35.32

रामागुंडेम एसटीपीएस	20441.18	89.75
रतीजा टीपीएस	268.94	61.4
रायलसीमा टीपीएस	7163.71	77.88
रिहंद एसटीपीएस	21261.88	80.91
रोपार टीपीएस	5731.21	51.92
रोसा टीपीपी फेज-I	8591.61	81.73
साबरमती (सी स्टेशन)	356.31	67.79
साबरमती (डी-एफ स्टेशन)	2626.57	88.19
सागरदिघी टीपीएस	4104.27	78.09
सलाया टीपीपी	6609.27	62.87
सलोरा टीपीपी	137.12	12.44
संजय गांधी टीपीएस	6823	58.13
संतालडिह टीपीएस	3444.17	40.12
सासन यूएमटीपीपी	17273.83	65.21
सतपुरा टीपीएस	6161.43	52.07
श्री सिंगाजी टीपीपी	1825.7	26.07
सिक्का रिप्. टीपीएस	945.92	44.85
सिम्हाद्री	15025.53	85.76
सिम्हापुरी टीपीएस	3203.71	81.27
सिंगरौली एसटीपीएस	14516.26	82.86
सिपत एसटीपीएस	21773.08	83.41
साउदर्न रिपब्लि. टीपीएस	990.2	83.73
स्टरलाइट टीपीपी	8230.49	39.15
सूरतगढ़ टीपीएस	10094.07	76.82
तालचेर (ओल्ड) टीपीएस	3783.88	93.9
तालचेर एसटीपीएस	23698.65	90.18
तलवंडी साबो टीपीपी	1522.7	34.77
तमनार टीपीपी	2409.79	21.94
टांडा टीपीएस	3161.39	82.02
तेनुघाट टीपीएस	2380.27	64.7
थामिनापट्टनम टीपीएस	1552.46	59.07
तिरौरा टीपीएस	16470.15	63.69
टीटागढ़ टीपीएस	1684.25	80.11
टोरंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-I)	2228.52	97.85
टोरेंगल्लू टीपीएस (एसबीयू-II)	5111.28	97.25
ट्रॉम्बे टीपीएस	4860.42	39.63
तूतीकोरिन (पी) टीपीपी	1428.17	54.34
तूतीकोरिन टीपीएस	7673.24	83.42
उडुपी टीपीपी	6414.58	61.02
उकई टीपीएस	6703.61	56.69
ऊंचाहार टीपीएस	7621.55	82.86
उतरौला टीपीएस	539.18	68.39
वल्लूर टीपीपी	5912.65	62.7
विंध्याचल एसटीपीएस	29573.73	79.25
वांकाबोरी टीपीएस	7434.61	57.73
वर्धा वरौरा टीपीपी	1172.53	24.79
यमुना नगर टीपीएस	3515.69	66.89
अकरीमोता लिग्. टीपीएस	1358.77	62.04
बरसिंगरसर लिग्नाइट	1380.66	63.04
गिरल टीपीएस	357.24	16.31
जलीपा कपूर्दी टीपीपी	7351.81	77.71
कच्छ लिग्ना. टीपीएस	1632.63	64.27

नैवेली (एक्सटें.) टीपीएस	3385.03	92
नैवेली टीपीएस-I	3631.34	69.09
नैवेली टीपीएस (जेड)	1828.12	83.48
नैवेली टीपीएस-II	11131.39	86.44
सूरत लिग्ना. टीपीएस	3266.61	74.58
अगरतला जीटी	627.84	83.18
अंता सीसीपीपी	1653.45	45.01
औरेया सीसीपीपी	1664.09	28.64
बारामूरा जीटी	306.03	59.72
बरौदा सीसीपीपी	38.24	2.73
दादरी सीसीपीपी	2530.19	34.81
धौलपुर सीसीपीपी	878.32	30.38
धुवरन सीसीपीपी	153.03	3.49
फरीदाबाद सीसीपीपी	1571.43	41.56
गांधार सीसीपीपी	1608.53	27.93
गोदावरी सीसीपीपी	546.21	29.98
हजीरा सीसीपीपी	214.73	15.7
आई.पी. सीसीपीपी	936.07	39.58
जेगुरूपडु सीसीपीपी	589.73	14.78
कराईकल सीसीपीपी	102.14	35.88
करूपपुर सीसीपीपी	578.81	55.15
कथलगुरी सीसीपीपी	1741.04	68.3
कवास सीसीपीपी	1741.22	30.29
कौंडापल्ली सीसीपीपी	574.71	18.74
कोविकलपल सीसीपीपी	413.72	44.14
कुट्टलम सीसीपीपी	497.35	56.78
लकवा जीटी	935.26	67.92
मोनार्चक सीसीपीपी	0.7	1.44
नामरूप सीसीपीपी	515.14	61.9
नामरूप एसटी	76.51	36.39
पी. नल्लूर सीसीपीपी	1171.37	40.46
पेड्डापुरम सीसीपीपी	186.59	9.68
पेगुथान सीसीपीपी	298.44	5.2
प्रगति सीसीजीटी-III	2235.07	17.01
प्रगति सीसीपीपी	1846.94	63.81
रामगढ़ सीसीपीपी	1218.94	51.6
रोखिया जीटी	420.43	43.24
सुजैन सीसीपीपी	2600.64	25.87
त्रिपुरा सीसीपीपी	2469.44	58.28
ट्रॉम्बे सीसीपीपी	1148.5	72.84
उरन सीसीपीपी	3567.16	60.6
उतरन सीसीपीपी	133.53	2.94
वैलंटरवी सीसीपीपी	378.8	81.9
वलुथूर सीसीपीपी	1068.96	65.54
विजेश्वरन सीसीपीपी	663.83	27.86
बेसिन ब्रिज जीटी (लिक्वि.)	2.85	0.27
कोचीन सीसीपीपी (लिक्वि.)	154.71	10.15
गोवा सीसीपीपी (लिक्वि.)	12.61	3
आर. गांधी सीसीपीपी (लिक्वि.)	819.12	26

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2336

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

तमिलनाडु को विद्युत की आपूर्ति

2336. डॉ. वी. मैत्रेयनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय पूल से तमिलनाडु द्वारा कितनी बिजली मांगी गई और इसी अवधि में कितनी बिजली प्रदान की गई;

(ख) क्या अधूरी ग्रिड कनेक्टीविटी के कारण राज्य से बाहर अवस्थित विद्युत केन्द्रों से राज्य को केन्द्रीय विद्युत ग्रिड से विद्युत की आपूर्ति में परेशानी हो रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों को विद्युत के पारगमन के लिए विद्युत ग्रिडों के साथ दक्षिणी ग्रिड के बीच ग्रिड कनेक्टीविटी को सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय उत्पादन स्टेशनों (सीजीएस) से तमिलनाडु द्वारा निर्धारित और इसे को आपूर्ति की गई विद्युत की मात्रा **अनुबंध** में है।

(ख) से (घ) : राज्य द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चालू वर्ष 2015-16 (अप्रैल-जुलाई) के दौरान तमिलनाडु में व्यस्ततम और ऊर्जा की कमी क्रमश: 1.2% और 1.6% थी और जुलाई, 2015 के दौरान कोई व्यस्ततम कमी नहीं थी और ऊर्जा की कमी भी मात्र 0.2% थी। इस प्रकार, राज्य विद्यमान नेटवर्क के माध्यम से अपनी विद्युत की मांग को पूरा करने में लगभग समर्थ है। तथापि, तमिलनाडु द्वारा दक्षिण क्षेत्र के बाहर स्थित राज्यों से विद्युत लेने के लिए ग्रिड में कुछ बाधाएं आई हैं।

जारी.....2/-

दक्षिण ग्रिड का अन्य क्षेत्रों की पावरग्रिडों के साथ ग्रिड सम्पर्क सुदृढ़ करने के लिए, निम्नलिखित अंतर्क्षेत्रीय सम्पर्कों की योजना बनाई गई है और ये कार्यान्वयनाधीन है। इन्हें उत्तरोत्तर सितम्बर, 2015 से 2019-20 के बीच चालू किया जाएगा।

(i) नरेन्द्र (कर्नाटक, दक्षिण क्षेत्र (एसआर)) - कोल्हापुर (महाराष्ट्र, पश्चिम क्षेत्र (डब्ल्यू आर)) 765 केवी डी/सी लाईन - सितम्बर, 2015

(ii) अंगुल (ओडिशा, पूर्वी क्षेत्र (ईआर)) - श्रीकाकुलम (आंध्र प्रदेश, एसआर) 765 केवी डी/सी लाईन-जून, 2016

(iii) वर्धा (महाराष्ट्र, डब्ल्यू आर) - निजामाबाद (तेलंगाना, एसआर) - हैदराबाद (तेलंगाना, एसआर) 765 केवी डी/सी लाईन-जून, 2018

(iv) वरोरा (महाराष्ट्र, डब्ल्यूआर) - वारंगल (तेलंगाना, एसआर) 765 केवी डी/सी लाईन-2018-19

रायगढ़ (छत्तीसगढ़, डब्ल्यूआर)-पुगालुर (तमिलनाडु, एसआर) ±800 केवी, 6000 मेगावाट एचवीडीसी (हाई वोल्टेज डायरेक्ट करेंट) सम्पर्क - 2019-20

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2336 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय उत्पादन स्टेशनों से तमिलनाडु को ऊर्जा अनुसूची और आपूर्तित

वर्ष	**ऊर्जा अनुसूची/आपूर्तित (एमयू)**
2012-13	21690
2013-14	24602
2014-15	27017
2015-16 (जून, 2015 तक)	8213

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2337

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया जाना

2337. श्री पी. एल. पुनियाः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में ऐसे कई गांव, शहर हैं जिनमें बिजली का बिल नहीं जमा कराने वाले परिवारों की दर सबसे अधिक है, यदि हां, तो राज्य-वार गत दो वर्ष का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इन गांवों, शहरों में कितना-कितना बिजली का बिल बकाया चल रहा है, वसूली के लिए प्रशासन द्वारा किए गए प्रयास का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख) : विद्युत समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत कनेक्शन देना/बिलिंग और विद्युत का वितरण संबंधित राज्य सरकार/राज्य विद्युत यूटिलिटी और राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसलिए देश के गांवों और शहरों में विद्युत बिलों के भुगतान/गैर-भुगतान संबंधी आकड़े विद्युत मंत्रालय के पास उपलब्ध नहीं हैं।

पीएफसी द्वारा प्रकाशित "राज्य विद्युत यूटिलिटियों के निष्पादन संबंधी रिपोर्ट" के अनुसार राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए बिलिंग और वसूली दक्षता क्रमशः 79.4% और 97.35% थी। इस रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च,2014 की स्थिति के अनुसार उपभोक्ताओं को सीधे विद्युत बेचने वाली यूटिलिटियों के लिए विद्युत की बिक्री के लिए 86,072 करोड़ रूपये प्राप्य हैं जो 92 दिनों की बिक्री के समतुल्य हैं। यूटिलिटी-वार ब्यौरे **अनुबंध** में दिए गए हैं। संबंधित एसईआरसी को उपभोक्ताओं से देय बकाया राशि वसूलने के लिए आवश्यक उपाय करने होते हैं। उपभोक्ताओं को संवर्धित तरीके में विद्युत उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार राज्यों के प्रयासों के बढाने में सहायक के रूप में कार्य करती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ उप-पारेषण और वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण हेतु वितरण यूटिलिटियों के सुविधा प्रदाता वितरण ट्रांसफार्मरों/फीडरों/उपभोक्ताओं की मीटरिंग, वितरण प्रणाली को आईटी सक्षम बनाने के लिए स्मार्ट मीटर और प्री-पेड मीटर लगाना इत्यादि शामिल है।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2337 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

यूटिलिटियों द्वारा सीधे उपभोक्ताओं को बेची जा रही विद्युत की बिक्री (रुपए करोड़ और दिनों की संख्या) के लिए देनदार

			2013-14	
क्षेत्र	**राज्य**	**यूटिलिटी**	**विद्युत की बिक्री के लिए देनदार (रुपए करोड़)**	**विद्युत की बिक्री के लिए देनदार (दिनों की संख्या)**
पूर्वी	**बिहार**	एनबीपीडीसीएल	769	180
		एसबीपीडीसीएल	707	107
	झारखंड	जेएसईबी	1,031	136
	ओडिशा	सीईएसयू	1,739	235
		एनईएससीओ	424	87
		एसईएससीओ	266	106
		डब्ल्यूईएससीओ	508	79
	सिक्किम	सिक्किम पीडी	210	262
	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यू बीएसईडीसीएल	4,151	101
पूर्वी कुल			**9,805**	**1292**
पूर्वोत्तर	**अरुणाचल प्रदेश**	अरुणाचल प्रदेश पीडी	85	333
	असम	एपीडीसीएल	843	116
	मणिपुर	मणिपुर पीडी	383	988
	मेघालय	एमईपीडीसीएल	494	416
	मिजोरम	मिजोरम पीडी	12	40
	नागालैंड	नागालैंड पीडी	50	188
	त्रिपुरा	टीएसईसीएल	96	79
पूर्वोत्तर कुल			**1,963**	**2159**
उत्तरी	**दिल्ली**	बीएसईएस राजधानी	507	21
		बीएसईएस यमुना	370	25
		टीपीडीडीएल	121	8
	हरियाणा	डीएचबीवीएनएल	2,248	83
		यूएचबीवीएनएल	1,254	69
	हिमाचल प्रदेश	एचपीएसईबी लि.	583	42
	जम्मू एवं कश्मीर	जम्मू एवं कश्मीर पीडीडी	360	79
	पंजाब	पीएसपीसीएल	1,800	40
	राजस्थान	एवीवीएनएल	414	24
		जेडीवीवीएनएल	851	46
		जेवीवीएनएल	1,089	49

	उत्तर प्रदेश	डीवीवीएन	4,583	345
		केईएससीओ	1,677	396
		एमवीवीएन	3,157	256
		पश्चिम वीवीएन	2,732	112
		पूर्व वीवीएन	6,833	503
	उत्तराखंड	उत्तराखंड पीसीएल	1,139	110
उत्तरी कुल			**29,720**	**2210**
दक्षिणी	**आंध्र प्रदेश**	एपीसीपीडीसीएल	2,375	57
		एपीईपीडीसीएल	794	50
		एपीएनपीडीसीएल	823	85
		एपीएसपीडीसीएल	687	34
	कर्नाटक	बीईएससीओएम	3,964	125
		सीएचईएससीओएम	2,101	541
		जीईएससीओएम	1,527	193
		एचईएससीओएम	1,662	144
		एमईएससीओएम	478	90
	केरल	केएसईबी		0
		केएसईबीएल	1,109	32
	पुडुचेरी	पुडुचेरी पीडी	198	69
	तमिलनाडु	टीएएनजीईडीसीओ	3,121	36
दक्षिणी कुल			**18,839**	**1456**
पश्चिमी	**छत्तीसगढ़**	सीएसपीडीसीएल	1,254	65
	गोवा	गोवा पीडी	319	99
	गुजरात	डीजीवीसीएल	542	27
		एमजीवीसीएल	531	47
		पीजीवीसीएल	412	15
		यूजीवीसीएल	830	43
	मध्य प्रदेश	एमपी मध्य क्षेत्रवीसीएल	2,549	202
		एमपी पश्चिम क्षेत्र वीवीसीएल	1,428	86
		एमपी पूर्व क्षेत्र वीवीसीएल	2,447	174
	महाराष्ट्र	एमएसईडीसीएल	15,432	111
पश्चिमी कुल			**25,745**	**869**
सकल योग			**86,072**	**92**

(स्रोत: पीएफसी)

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2338

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

तापीय विद्युत केन्द्रों को कोयले की आपूर्ति

2338. डॉ. वी. मैत्रेयनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) गत पांच वर्षों के दौरान ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) के अनुसार तापीय विद्युत केन्द्रों को प्रदान किए गए कोयले की मात्रा और मूल्य का ब्यौरा क्या है, तथा इस आपूर्ति में कितनी गिरावट आयी;

(ख) उपरोक्त वर्षों में तमिलनाडु में प्रत्येक तापीय विद्युत केन्द्र की एफएसए के अनुसार कोयले की पर्याप्त मात्रा और गुणवत्ता की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार राज्य में तापीय विद्युत केन्द्रों को कोई प्रौद्योगिकीय और वित्तीय सहायता प्रदान करती रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : पिछले पांच वर्षों के दौरान समझौता ज्ञापन (एमओयू) मात्रा सहित ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) में प्रतिबद्ध मात्रा के अनुसार ताप विद्युत केंद्रों (टीपीएस) को आपूर्ति की गई कोयले की कुल मात्रा तथा आपूर्ति में कमी **अनुबंध** में दी गई है।

विद्युत संयंत्रों को आपूर्ति किए जाने वाले कोयले का मूल्य विद्युत संयंत्र से सम्बद्ध खान (खानों) के कोयला ग्रेड पर निर्भर करता है और कोयले का मूल्य सीआईएल द्वारा अधिसूचित किया जाता है।

(ख) : तमिलनाडु राज्य में विद्युत के लिए कोयले की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) तमिलनाडु सहित देश में विद्युत संयंत्रों को घरेलू कोयले की आपूर्ति बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान, विद्युत संयंत्रों को कोयले की आपूर्ति में 10.4% की हुई, जो किसी वर्ष में प्राप्त की गई सबसे बड़ी उपलब्धि है।

(ii) 4 अगस्त, 2015 तक की स्थिति के अनुसार स्टेट जेनको (तमिलनाडु जेनरेशन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लि.) के सभी विद्युत संयंत्रों के पास कोयले का पर्याप्त स्टॉक है।

(iii) कोयले की उपलब्धता की सरकार के उच्चतम स्तर पर नियमित रूप से सूक्ष्म निगरानी की जा रही है।

(ग) और (घ) : विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार विद्युत उत्पादन लाइसेंस मुक्त कार्य है। उत्पादन परियोजनाओं हेतु प्रौद्योगिकीय और वित्तीय आवश्यकता की व्यवस्था उत्पादन परियोजनाओं के स्वामियों द्वारा की जाती हैं।

****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 10.08.2015 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 2338 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

****

पिछले पांच वर्षों के दौरान समझौता ज्ञापन (एमओयू) मात्रा सहित ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) में प्रतिबद्ध मात्रा के अनुसार ताप विद्युत केंद्रों (टीपीएस) को आपूर्ति की गई कोयले की कुल मात्रा तथा आपूर्ति में कमी दी गई है।

(मिलियन टन में)

वर्ष	**एमओयू मात्रा सहित प्रतिबद्ध एफएसए मात्रा**	**वास्तविक प्रेषण**	**कमी(-)/अधिशेष(+)**
2010-11	274.322	304.145	29.823
2011-12	282.394	312.068	29.674
2012-13	307.065	345.510	38.445
2013-14	340.447	353.830	13.383
2014-15	370.965	385.689	14.724

****

भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-2339

जिसका उत्तर 10 अगस्त, 2015 को दिया जाना है ।

विद्युत उत्पादन

2339. श्री सी. पी. नारायणनः

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) पिछले वर्ष के दौरान देश में कुल कितना विद्युत उत्पादन हुआ था और इस वर्ष कितने उत्पादन का अनुमान है;

(ख) इस उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा कितना है;

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र में कितने नए विद्युत उत्पादन स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं; और

(घ) वर्ष 2020 तक विद्युत उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा कितना होने का अनुमान है?

उत्तर

विद्युत, कोयला एवं नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री पीयूष गोयल)

(क) : वर्ष 2014-15 के दौरान देश में उत्पादित कुल विद्युत 1048.67 बिलियन यूनिट (बीयू) थी और वर्ष 2015-16 के लिए प्रक्षेपण 1137.5 बीयू है।

(ख) : वर्ष 2014-15 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र (केन्द्रीय और राज्य क्षेत्र) का विद्युत उत्पादन (बीयू) में 72.65% हिस्सा है और विद्युत उत्पादन क्षमता में सार्वजनिक क्षेत्र का (मेगावाट में) 61.65% हिस्सा है।

(ग) : सार्वजनिक क्षेत्र में अठहत्तर (78) नए विद्युत स्टेशन स्थापित किए जा रहे हैं।

(घ) : वर्ष 2020 में विद्युत उत्पादन में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा लगभग 60% होने की संभावना है।

****